रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003--05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3—जनवरी 9, 2009 (पौष 13, 1930)

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3—JANUARY 9, 2009 (PAUSA 13, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 1

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 1

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 1

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 1

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 1

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... *

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 1

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 1

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर 2008

संकल्प

सं. I/20017/01/2004-रा.भा.(नीति-1)--भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिंदी समिति, जिसे दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 के संकल्प संख्या I/20017/01/2004-रा.भा.(नीति-1) द्वारा अधिसूचित किया गया था तथा इसका कार्यकाल दिनांक 22.08.2007 के समसंख्यक संकल्प द्वारा एक वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 15.12.2007 से 14.12.2008 तक बढ़ाया गया था। इस समिति का कार्यकाल आगे 03 माह अर्थात् 15.12.2008 से 13.03.2009 तक बढ़ाया जाता है।

डी. के. पाण्डेय
संयुक्त सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 22 दिसम्बर 2008

संकल्प

सं. 14(1)/2008-टीडब्ल्यू--इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार वर्ष 2007-08 के निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री ट्रॉफी और इस्पात मंत्री ट्रॉफी प्रदान करने हेतु भारत में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए निर्णायकों का एक पैनल एतद्द्वारा गठित करती है।

निर्णायकों के पैनल में निम्नलिखित शामिल होंगे:--

1. श्री प्रमोद कुमार रस्तोगी, आई.ए.एस., सचिव, भारत सरकार — अध्यक्ष
इस्पात मंत्रालय
उद्योग भवन,
नई दिल्ली-110107

2. श्री जगदीश खट्टर, — सदस्य
पूर्व प्रबंध निदेशक,
मारुति उद्योग लिमिटेड
ई-16, सेक्टर 40, नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर-201301

3. श्री डी. आर. आहूजा, — सदस्य
पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.,
सी-22ए, सुशान्त लोक-I,
गुडगांव-122002 हरियाणा

4. श्री ए. के. लाहिड़ी, (सेवा निवृत्त), — सदस्य
धातुकर्म विभाग,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस,
फ्लैट नं. 208,
प्रणव कॉम्पलैक्स,
नं. 3, 5वां क्रॉस,
माल्लेश्वरम,
बैंगलौर-560 003

5. श्री के. ए. पी. सिंह, — सदस्य
पूर्व-प्रबंध निदेशक,
बोकारो इस्पात संयंत्र,
जी-402, इस्पातीका,
प्लॉट न. 29, सेक्टर-4,
द्वारका, नई दिल्ली-110078

6.	श्री एस.एन. मिश्रा, पूर्व निदेशक (परियोजना), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 571, शाकुंतलम का-आपरेटिव सोसायटी, प्लॉट नं. 16, सैक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075	सदस्य
7.	श्री अनिल अग्रवाल, वित्तीय विशेषज्ञ एवं स्वतंत्र निदेशक मेकॉन, बी-139, कालकाजी, नई दिल्ली-110019	सदस्य
8.	श्री संजय चंद्र, प्रबंध निदेशक, यूनीटैक लि., यूनिटैक सिग्नेचर टॉवर्स, जीएफ, साउथ सिटी-1, एनएच-8, गुड़गांव-122002	सदस्य
9.	श्री प्रद्युम्न जाजोदिया, कार्यपालक निदेशक, वार्डन ग्रुप ऑफ कंपनीज, वार्डन हाउस, 340 जे जे रोड, मुंबई-400008	सदस्य
10.	श्री रामयश सिंह, अध्यक्ष, इंटक हरिद्वार एंड जनरल सोसायटभ्, इंडियन नेशनल शुगर मिल्स वर्कर्स एसोसिएशन, 163/III/I, भेल, रानीपुर, हरिद्वार-249403 उत्तरांचल	सदस्य
11.	श्री एस. स्वामिनाथन, नेशनल वंर्किंग प्रेसिडेंट, जनशाक्ति मजदूर सभा, लो.जा. पार्टी (लेबर सैल) 201, दुसरी मंजिल, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049	सदस्य
12.	श्री यू.पी. सिंह, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110011	सदस्य -सचिव

2.0 निर्णायकों के पैनल के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:-

2.1 विशुद्ध लौह इकाई के रूप में प्रचालन शुरू करने वाले भारत के समस्त ऐसे एकीकृत

इस्पात संयंत्रों जिनकी एक ही स्थान पर अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता न्यूनतम 10 लाख टन हो और जिन्होंने अपने वाणिज्यिक उत्पादन का कम से कम दो वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, के वर्ष 2007-08 के निष्पादन का मूल्यांकन करना । ये संयंत्र या तो इस्पात तैयार करने में कोक ओवन धमन भट्टी-ढलाई तथा बेलन और परिसज्जित मिल अथवा इस्पात तैयार करने में प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (डी आर आई)/तप्त ब्रिक्वेटिंग लोहा (एच बी आई) (धमन भट्टी सहित अथवा इसके बगैर), - विद्युत चाप भट्टी (ई ए एफ) इस्पात निर्माण-ढलाई तथा रोलिंग एवं परिसज्जित मिल ढलाई तथा बेलन और परिसज्जित मिल अथवा कोरेक्स भट्टी (धमन भट्टी सहित अथवा इसके बगैर)- बेसिक आक्सीजन फर्नेश (बी ओ एफ) इस्पात निर्माण - कास्टिंग तथा रोलिंग मिल और फिनिशिंग मिल प्रक्रिया के जरिए प्रचालित किए जा सकते हों।

2.2 यह मूल्यांकन इस संकल्प के साथ लगी पूर्व-निर्धारित योजना (समय-समय पर संशोधित) की शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

2.3 तथापि, निर्णायकों का पैनल इस योजना के संबंध में विभिन्न इस्पात संयंत्रों से अथवा पूर्व वर्षों के निर्णायकों के पैनल द्वारा समय-समय पर दिए सुझावों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को भी ध्यान में रख सकता है ।

2.4 निर्णायको का पैनल वर्ष 2007-08 के दौरान सर्वोत्तम निष्पादन के लिए दो इस्पात संयंत्रों का चयन व सिफारिश करेगा, एक संयंत्र को प्रधान मंत्री ट्रॉफी और उसके साथ दो करोड़ रूपए के पुरस्कार के लिए और दूसरे संयंत्र को रनर-अप प्रधान मंत्री पुरस्कार के रूप में इस्पात मंत्री ट्रॉफी और उसके साथ एक करोड़ रूपए के लिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाए और सर्वसाधारण की सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाए।

उदय प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव

एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्रदान करने के लिए योजना (सितंबर, 2008 तक यथासंशोधित)

1.0 शुरूआत

पूर्व प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 01.8.2008 को राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करते समय की गई घोषणा के फलस्वरूप सरकार ने सर्वोत्तम निष्पादन करने की प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए तथा देश में एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रत्येक वर्ष 'प्रधान मंत्री ट्रॉफी' नामक एक पुरस्कार तथा उसके साथ एक करोड़ रूपए का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है।

1.1 भारत सरकार ने मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से सर्वोत्तम निष्पादन करने वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र के मामले में नकद पुरस्कार राशि 1.0 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2.0 करोड़ रूपए कर दी है। जो भी इस्पात संयंत्र लगातार 2 वर्ष तक प्रधान मंत्री ट्रॉफी जीतेगा, उसे तीसरे वर्ष में पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। पुरस्कार अगले सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र को दे दिया जाएगा तथा अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

1.2 प्रधान मंत्री ट्रॉफी योजना में मूल्यांकन वर्ष 2006-07 से एक करोड़ रूपए नकद पुरस्कार के साथ इस्पात मंत्री ट्रॉफी नाम से रनर अप प्रधान मंत्री ट्रॉफी शामिल की गई है। इस्पात मंत्री ट्रॉफी तथा एक करोड़ रूपए का नकद पुरस्कार समग्र निष्पादन में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले इस्पात संयंत्र को दिया जाएगा। उपर्युक्त पैरा 1.1 के अनुसार दूसरे सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र द्वारा प्रधान मंत्री ट्रॉफी तथा दो करोड़ रूपए का नकद पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति में इस्पात मंत्री ट्रॉफी तथा एक करोड़ रूपए का नकद पुरस्कार तीसरे सर्वश्रेष्ठ इस्पात संयंत्र को दिया जाएगा।

2.0 उद्देश्य

एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए पुरस्कार शुरू करने का उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसका पूंजी के राष्ट्रीय संसाधनों और कुशल जनशक्ति से गहरा संबंध है, में उत्कृष्ट निष्पादन को मान्यता देना है। पुरस्कार देने का उद्देश्य प्रमुख उत्पादकों को उनके अपने प्रचालन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्षमता, गुणवत्ता तथा किफायत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है।

3.0 पात्रता

विशुद्ध लौह इकाई के रूप में प्रचालन शुरू करने वाले भारत के समस्त ऐसे एकीकृत इस्पात संयंत्रों, जिनकी एक ही स्थान पर अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन की वार्षिक क्षमता न्यूनतम 10 लाख टन हो और जिन्होंने अपने वाणिज्यिक उत्पादन का कम से

कम दो वर्ष का समय पूरा कर लिया हो, इस योजना में भाग लेनेके पात्र हैं। संयंत्र या तो इस्पात तैयार करने में कोक ओवन–धमन भट्टी (बीएफ) - इस्पात निर्माण और फिनिशिंग मिल अथवा प्रत्यक्ष अपचयित लोहा (एचबीआई) (धमन भट्टी सहित अथवा इसके बगैर) - विद्युत चाप भट्टी (ई ए एफ) - इस्पात निर्माण तथा फिनिशिंग मिल अथवा कोरेक्स भट्टी (धमन भट्टी सहित अथवा इसके बगैर)- बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बी ओ एफ) इस्पात निर्माण और फिनिशिंग मिल प्रक्रिया के जरिए प्रचलित हो सकते हैं।

4.0 योजना

4.1 योजना का ब्यौरा तथा एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए मापदंड प्रारंभ में इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किया गया था। इन मापदंडों तथा बेंचमार्किंग का प्रधान मंत्री ट्राफी के निर्णायकों के पैनल द्वारा विभिन्न वर्षों में और समय-समय पर गठित अन्य विशेषज्ञ समितियों द्वारा और अधिक विस्तृत बनाया गया है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन के मूल्यांकन के मापदण्डों में अब मौजूदा कारोबारी माहौल को ध्यान में रखा जाता है।

4.2 विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों तथा भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार, एकीकृत इस्पात संयंत्रों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 12 प्रमुख प्राचल तैयार किए गए हैं। ये नीचे दिए गए हैं:-

- विक्रेय इस्पात क्षमता उपयोगिता
- प्रचालन की कार्यकुशलता
- वित्तीय निष्पादन
- निर्यात निष्पादन
- उत्पादों की गुणवत्ता
- पर्यावरण प्रबंधन
- निगमित समाजिक जिम्मेदारी
- सुरक्षा
- आर एंड डी पर जोर
- ग्राहक संतुष्टि
- समर्थ प्राचल
- निर्णायकों के पैनल द्वारा की गई संयंत्रों के दौरों के आधार पर निष्पादन रिपोर्ट

4.3 पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन निर्णायकों के पैनल, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, द्वारा किया जाएगा;

1.	सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	लोहा तथा इस्पात उद्योग के विशेषज्ञ	सदस्य
3.	ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य

4.	प्रबंधन विशेषज्ञ	सदस्य
5.	अर्थशास्त्री	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय	सदस्य-सचिव

4.3.1 सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों के पूर्व अध्यक्षों, अभियांत्रिकी इकाइयों, भारतीय प्रबंधन संस्थान और अन्य प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अर्थशास्त्रियों आदि में से निर्णायकों के पैनल में और अधिक सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए।

4.3.2 निर्णायकों के पैनल में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के एक नामिती को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा जिसकी नियुक्ति निर्धारित सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री ट्राफी प्रभारी इस्पात मंत्री द्वारा की जाएगी।

4.4 ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण तथा समर्थ प्राचलों का मूल्यांकन स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसियों तथा प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाएगा।

4.5 ग्राहक तुष्टिकरण सर्वेक्षण निर्णायकों के पैनल के दौरों के समय किया जाएगा तथा संयंत्र का दौरा किए जाने से पूर्व निर्णायकों के पैनल को सार्थक प्राचलों का मूल्यांकन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

4.6 समर्थ प्राचलों का अध्ययन करने वाली एजेंसी प्रत्येक मापदण्ड के संबंध में एक मूल्यांकन करेगी और समर्थ प्राचलों के लिए अंक देने हेतु निर्णायकों के पैनल को व्यावसायिक सहायता प्रदान करेगी।

4.7 संयुक्त संयंत्र समिति की आर्थिक अनुसंधान इकाई, नई दिल्ली प्रधान मंत्री ट्रॉफी सचिवालय (इस्पात मंत्रालय) के रूप में कार्य करेगा तथा निर्णायकों के पैनल को सचिवालयी सेवाएं तथा सामान्य सहायता उपलब्ध कराएगा। इस योजना के तहत भाग लेने वाले इस्पात संयंत्रों के प्रतिनिधि भी सचिवालय को सहयोग प्रदान करेंगे। मूल्यांकन की प्रक्रिया में सचिवालय द्वारा किए गए खर्चों को भाग लेने वाले इस्पात संयंत्र अपने निर्धारित अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन क्षमता के अनुपात में बांटेंगे। निर्णायकों के पैनल द्वारा संयंत्रों के दौरों पर किए गए समूचे खर्चे को संबंधित संयंत्रों द्वारा वहन किया जाएगा । तथापि, निर्णयकों के पैनल द्वारा दिल्ली दौरे के दौरान किए गए खर्च को सचिवालय द्वारा वहन किया जाएगा।

4.8 सचिवालय के कार्य का समन्वय सदस्य-सचिव के माध्यम से निर्णायकों के पैनल के साथ किया जाएगा। यह इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा तथा भाग लेने वाले संयंत्रों से जानकारी एकत्रित करने के लिए एक प्रपत्र तैयार करेगा। सचिवालय, सदस्य-सचिव के परामर्श से निर्णायकों के पैनल को प्रस्तुत की जाने वाली सम्पूर्ण आधारभूत जानकारी को निर्धारित प्रपत्र में तैयार करेगा तथा उसका सारांश देगा । यह निर्णायकों के पैनल को सामान्य सहायता भी उपलब्ध कराएगा तथा संबंधित संयंत्र के साथ समन्वय करके पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करेगा।

4.9 जब तक भारत सरकार अन्यथा कोई निर्णय न ले, पुरस्कार वितरण समारोह स्थल वर्ष विशेष के लिए पुरस्कार जीतने वाला संयंत्र स्थल होगा ।

4.10 पुरस्कार वार्षिक है, लेकिन 60% की न्यूनतम सीमा की सिफारिश की गई है । यदि कोई भी संयंत्र किसी वर्ष विशेष में न्यूनतम सीमा से अधिक अंक प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उस वर्ष यह पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

5.0 मूल्यांकन के लिए प्राचल **महत्व (%)**

5.1 विक्रेय इस्पात क्षमता उपयोगिता (उप-योग 2) **2**

संयंत्र विशेष के निष्पादन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विक्रेय इस्पात की निर्धारित क्षमता को अपनाया जाएगा। क्षमता विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), जहाँ डीपीआर परामर्शदाताओं द्वारा बनाई गई है, के अनुसार ली जाएगी। डीपीआर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन के समय अथवा परियोजना के बंद होने के समय परिकल्पित उत्पादन स्तर और कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित उत्पादन स्तर की क्षमता को अपनाया जाए। जहां क्षमता में वृद्धि के लिए सुविधाएं प्रगामी रूप से चालू की जा रही हैं और वर्ष के दौरान पूर्ण क्षमता उपलब्ध नहीं हैं तो वर्ष के दौरान उपलब्ध क्षमता की गणना सगर्भता अवधि को अंक दिए बगैर की जाएगी तथा गणना के आधार को अलग से दर्शाया जाएगा। पूंजीगत न की गई परिसंपत्तियों से उत्पादन को अलग रखा जाएगा, वित्तीय जानकारी के साथ संगतता बनाई रखी जाएगी। यदि कतिपय सुविधाओं को स्थायी आधार पर समाप्त कर दिया गया है, तो उसे डी पी आर क्षमता में से निकाल दिया जाएगा और उसको समाप्त करने का ब्यौरा दिया जाएगा।

यदि अर्धपरिसज्जित उत्पाद डीपीआर/बोर्ड के अनुमोदन में उल्लिखित ब्यौरे से अधिक होगा तो उसे समुचित रूप से समायोजित किया जाएगा

5.2 प्रचालन की दक्षता (उप-योग 16)

(i) धमन भट्टी अथवा कोरेक्स भट्टी में **कार्बन दर** (तप्त धातु कि.ग्रा/टी), **2**

डी आर आई अथवा एच बी आई की हीट **इनपुट** (जी कैल/टी)

(क) धमन भट्टी में कार्बन की दर निम्नानुसार आंकी जाएगी :-

धमन भट्टी कोयले के औसत निर्धारित कार्बन प्रभाजन को धमन भट्टी में वास्तविक स्किप कोक चार्जेड के साथ गुणा करके कार्बन दर प्राप्त की जाती है। निर्धारित कार्बन को "100-शुल्क आधार पर कोयले में राखांश के रूप में परिभाषित किया गया है"।

सिंटर के साथ धमन भट्टियों में प्रभारित नट कोक को धमन भट्टी कोक के साथ 100 प्रतिशत प्रतिस्थापन अनुपात समझा जाना चाहिए।

आक्जीलरी ईंधन जैसे कोल डस्ट, कोल टार आदि के लिए कार्बन दर की गणना निम्नानुसार की जाए:-

समतुल्य कोक दर = आक्जीलरी ईंधन/टी तप्त धातु x रिप्लेसमेंट अनुपात,

कार्बन दर (आक्जलरी ईंधन)= समतुल्य कोक दर x धमन भट्टी कोयले की औसत निर्धारित कार्बन।

धमन भट्टियों में कार्बन दर के लिए बेंचमार्क: 450 कि.ग्रा./टन

(ख) कोरेक्स भट्टी में कार्बन दर निम्नलिखित रूप से आंकी जा सकती है:-

कोरेक्स भट्टी में कार्बन दर = कोरेक्स भट्टी में कुल कोयला दर x नान-कोकिंग कोल में औसत निर्धारित कार्बन प्रभाजन । नान-कोकिंग कोल में औसत निर्धारित कार्बन को 100-शुष्क आधार पर अकोककर कोयले में राखांश के रूप में परिभाषित किया गया है। अत: समतुल्य कोयला दर = रिडक्शन साफ्ट में कोक खपत तप्त धातु का प्रति टन x रिप्लेसमेंट अनुपात ।

कोरेक्स भट्टी में कार्बन दर के लिए बेंचमार्क : 575 कि.ग्रा./टन

(ग) एच बी आई/डी आर आई संयंत्रों के लिए ईंधन दर के लिए **बेंचमार्क** : 2.5 जी .कैल/टन

(ii) धमन भट्टी, कोरेक्स भट्टी

एच बी आई अथवा डी आर आई भट्टी उत्पादकता (टी/एम $^{3/}$प्रतिदिन) **3**

(क) बी एफ, एच बी आई अथवा डी आर आई भट्टी उत्पादकता का मूल्यांकन प्रति दिन उपलब्ध भट्टी के कार्यचालन मात्रा की प्रति घन मीटर तप्त धातु, एच बी आई अथवा डी आर आई उत्पादन के रूप में की जाती है । धमन भट्टी के लिए कार्यचालन मात्रा को खुली स्थिति में सामान्य स्टाक लाइन/बिग बैल तथा टॉयर के मध्य लाइन के बीच निहित भट्टी की मात्रा के रूप मे परिभाषित किया जाता है । उपलब्ध दिनों की गणना कैलेण्डर दिनों का अंतर तथा बड़े पैमाने पर मरम्मत की अवधि के रूप में परिभाषित की जाती है । तथापि, सामान्य मरम्मत समय को बड़ें पैमाने पर मरम्मत समय में न जोड़ा जाए।

धमन भट्टी उत्पादकता के लिए **बेंचमार्क** : 2.39 टी/एम $^{3/}$उपलब्ध दिवस

एच बी आई/डी आर आई भट्टी उप्पादकता के लिए **बेंचमार्क** : 9 टी/एम $^{3/}$उपलब्ध दिवस

(ख) कोरेक्स भट्टी उत्पादकता

कोरेक्स भट्टी उत्पादकता का मूल्यांकन वार्षिक औसत आधार पर प्रति घंटे उत्पादित तप्त धातु के टन के रूप में किया जाता है, अर्थात् कोरेक्स भट्टी उत्पादकता = वार्षिक उत्पादन (टन में) ÷ वार्षिक प्रचालन घंटे। वार्षिक प्रचालन घंटों का अनुमान कैलेण्डर घंटों तथा बड़े पैमाने पर मरम्मत की अवधि के अंतर कोरेक्स-बीओएफ इकाइयों के

वास्तविक रूप से बंद दिन प्रति वर्ष 12 दिन से अधिक न हो, के रूप में लगाया जाता है। तथापि, सामान्य अनुरक्षण के समय को पूंजीगत मरम्मत समय में न जोड़ा जाए।

कोरेक्स भट्टी उत्पादकता के लिए **बेंचमार्क** : 100 टी/एम $^{3/}$उपलब्ध दिवस

(iii) इस्पात भट्टी (बीओएफ/टीओएफ) उत्पादकता (हीट्स की संख्या/उपलब्ध कनवर्टर/वर्ष)-2

किए गए तापों की संख्या/उपलब्ध करवर्टर/वर्ष = 1 वर्ष में कुल तापों की संख्या ÷ स्थापित कनवर्टरों की संख्या x कनवर्टर उपलब्धता

तापों की संख्या = एक वित्तीय वर्ष में बीओएफ/ईएएफ से टैप्ड तापों की संख्या।

कनवर्टर उपलब्धता=कलैंडर घंटे - मरम्मत हेतु नियोजित कार्य बंदी-टेप होल मेकिंग व लेंस चेंजिंग - अनुरक्षण विलंब।

(iv) समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत **6**

समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत (अपरिष्कृत इस्पात का जी कैल/टी) की गणना आई आई एस आई पद्धति के आधार पर की जानी चाहिए ।

तीन विभिन्न रूटों अर्थात् एच बी आई अथवा डी आर आई तथा ई ए एफ रूट, कोरेक्स - बी ओ एफ रूट; बी एफ - बी ओ एफ रूट के आधार पर इस्पात संयंत्रों के लिए मूल्यांकन का पैमाना एक दूसरे से अलग होगा।

विशिष्ट ऊर्जा खपत के लिए **बैंचमार्क** निम्नलिखित के लिए प्रति टन अपरिष्कृत इस्पात होगी;

क) बी एफ-बी ओ एफ रूट और कोरेक्स-बीओएफ रूट आधारित संयंत्र: 5.92 जी . कैल/टी सी एस; तथा

ख) एच बी आई/डी आर आई-ई ए एफ आधारित संयंत्र: 5.0 जी . कैल/टी सी एस।

(v) श्रम उत्पादकता **3**

श्रम उत्पादकता की गणना प्रति व्यक्ति वर्ष अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन के रूप में की जाए । बिक्री के लिए उत्पादित कच्चा लोहा, एच बी आई अथवा डी आर आई को 50% के समतुल्य घटक के साथ महत्ता दी जाए तथा श्रमशक्ति की गणना कार्य बल के आधार पर की जाएगी। कार्य श्रमशक्ति की गणना कारखाना इतर विभागों जैसे प्रशासन, विपणन, वित्त, टाउनशिप, निर्माण इकाइयों, खानों आदि को छोड़ने के पश्चात की जाए लेकिन उत्पादन सेवाओं जैसे उत्पादन आयोजना तथा नियंत्रण आदि को शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण विभाग, निजी इंजीनियरिंगशाला, रिफैक्ट्रीज संयंत्र आदि जैसे इस्पात संयंत्रों की केन्द्रीयकृत इकाइयों की श्रमशक्ति, जो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप से सन्निहित नहीं होती, को श्रम उत्पादकता से अलग रखा जाए।

तीन विभिन्न रूटों अर्थात् एच बी आई अथवा डी आर आई तथा ई ए एफ रूट, कोरेक्स - बी ओ एफ रूट; बी एफ - बी ओ एफ रूट के आधार पर इस्पात संयंत्रों के लिए मूल्यांकन का पैमाना एक दूसरे से अलग होगा।

यदि किसी इस्पात संयंत्र में सामान्य प्रचालन तथा मरम्मत कार्य बाह्य ठेकेदारों से कराया गया है तो निर्णायकों का पैनल ऐसे श्रम मूल्यांकन के लिए आदान सूचना प्राप्त कर उसे संयंत्र द्वारा सूचित की गई नियमित श्रमशक्ति में जोड़ेगा ।

5.3 वित्तीय निष्पादन

आंकडों का अंकेक्षण कराया जाए तथा उनका सत्यापन और जो प्रकाशित लेखाओं के साथ संगत हो, उस पेशेवर सनदी लेखाकार से कराया जाए जो कंपनी का कर्मचारी न हो। कारोबार

(i) सकल मार्जिन/कारोबार अनुपात 4

सकल मार्जिन को ब्याज तथा मूल्यह्रास पूर्व लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। लोहा और इस्पात उत्पादों के कारोबार को कुल बिक्री को दर्शाया जाए जिसमें लोहा तथा इस्पात उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया से उत्पन्न उपोत्पाद भी शामिल हों । तथापि, उत्पादों की बिक्री जैसे सी ए एन, फैरो एलायज, कच्चा माल, बियरिंगस, एग्रिको उत्पाद आदि को शामिल नहीं किया जाएगा । इसमें संयंत्र द्वारा निर्मित न किए गए उत्पादों की बिक्री से हुई बिक्री आय को भी अलग रखा जाए ।

सकल मार्जिन केवल उपर्युक्त उल्लिखित लोहा तथा इस्पात उत्पादों से ही संबंधित है। निवेशों पर ब्याज/लाभांश से आय पर विचार न किया जाए । कंपनी के भीतर अंतर संयंत्र अंतरण तथा आंतरिक खपत पर भी विचार न किया जाए। नीतिगत लाभ/हानि की पर विचार किया जाए ।

* तथापि लोहा तथा इस्पात के सामान्य निर्माताओं से कच्चा माल तथा अन्य उद्भूतों को शामिल किया जाएगा ।

(ii) सकल मार्जिन/लगाई गई औसत पूंजी 2

सकल मार्जिन वही है जैसा उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित है। लगाई गई औसत पूंजी में केवल निवल स्थायी परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी को ही शामिल किया जाए ।

(iii) कारोबार/मालसूची अनुपात 2

कारोबार वही है जैसा उपर्युक्त मद (i) में उल्लिखित है । मालसूची में औसत परिसज्जित

तथा अर्ध-परिसज्जित भंडार को भी शामिल किया जाए और अन्य सामग्रियों की मालसूची जैसे कच्चा माल, भंडार तथा कलपुर्जों आदि को भी शामिल किया जाए। मालसूची में विविध देनदारों की राशि को भी शामिल किया जाए ।

(iv) ग्रोस ब्लॉक की तुलना में पूंजीकृत व्यय = 1

5.4 निर्यात निष्पादन (उप-योग 2)

(i) निर्यात मूल्य अनुपात 2

अर्जित विदेशी मुद्रा तथा कुल कारोबार के अनुपात के रूप में परिभाषित। विदेशी मुद्रा प्राप्ति एफओबी आधार पर दी जाए। कारोबार को उसी तरह परिभाषित किया जाए जैसा वित्तीय निष्पादन के तहत किया गया है।

5.5 उत्पादों की गुणवत्ता (उप-योग 4)

(i) विशेष ग्रेडों का उत्पादन 2

विशिष्ट श्रेणी में विक्रेय इस्पात उत्पादन प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकित किया जाए । विशेष श्रेणी के तहत केवल निम्नलिखित इस्पात श्रेणियों पर विचार किया जाएगा :

(क) 0.04% से कम और 0.4% से अधिक कार्बनयुक्त इस्पात श्रेणियां

(ख) वी ए डी, वी ओ डी, आर एच अथवा आर एच ओ बी जैसी गौण परिशोधन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित किया गया इस्पात;

(ग) न्यून एच, ओ, एन और एस आई युक्त इस्पात श्रेणियां

(घ) इस्पात को अधिक सुद्रढ़ और विसर्पणरोधी अथवा जंगरोधी बनाने के लिए सी आर, एम ओ, एन आई जैसे वर्धित मिश्र ।

(ङ) कठोर प्रावस्था (बेनाइट/मार्टेनसाइट) युक्त प्रावस्था रूपान्तरित श्रेणियां

(च) अंतरालीमुक्त इस्पात

(छ) 0.4 एम एम से कम मोटाई का थिनर गेज कोल्ड रोल्ड इस्पात

(ज) समान श्रेणी के उत्पाद की तुलना में 20% से अधिक से मूल्य वाली इस्पात की कोई अन्य श्रेणी ।

(ii) नए विकसित उत्पाद 2

विक्रेय इस्पात उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में नए उत्पादनों के टनेज के रूप में

मूल्यांकन किया जाएगा। संयंत्र में पहली बार उत्पादित उत्पादों पर नए उत्पादों के रूप में विचार किया जाए । नए उत्पादों के संबंध में विकासात्मक प्रयासों तथा विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करने वाली टिप्पणी भी हो । इस पर निर्णायकों का पैनल अपना अन्तिम निर्णय लेगा ।

5.6 ग्राहक संतुष्टि (उप योग 15)

(i) बाजार तथा ग्राहक संतुष्टि के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया (निर्णायकों के पैनल का मूल्यांकन) 5

बाजार तथा ग्राहक संतुष्टि के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का मूल्यांकन निर्णायकों के पैनल द्वारा निम्नलिखित प्रश्नोत्तरों के आधार पर किया जाएगा:-

- संयंत्र ग्राहक समूह और/अथवा बाजार खंड का निर्धारण कैसे करता है ?
- संयंत्र ग्राहक समूह अथवा बाजार खंड की आवश्यकताओं का निर्धारण कैसे करता है ?
- विद्यमान/भावी ग्राहकों से सूचना तथा ग्राहक आवश्यकता निर्धारण में शिकायतों का प्रयोग कैसे किया जाता है ?
- संयंत्र ग्राहक आवश्यकताओं को नए उत्पाद तथा/अथवा सेवाओं के रूप में, कैसे बदलता है ?
- विभिन्न ग्राहक समूहों से सुनने तथा अपनाने में अपनी प्रक्रिया का कैसे मूल्यांकन और सुधार करता है ?
- संयंत्र ग्राहकों द्वारा अपेक्षित सहायता तथा मौखिक शिकायतें कैसे सुलभ करता है ?
- संयंत्र ग्राहकों से तत्काल तथा कार्रवाई योग्य फीड बैक कैसे प्राप्त करता है ?
- संयंत्र ग्राहकों के साथ संबंध तथा सकारात्मक वफादारी दृष्टिकोण कैसे बनाता है ?

(ii) ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण (एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा) 10

एक स्वतंत्र बाजार अनुसंधान ऐजेंसी द्वारा विभिन्न संयंत्रों के ग्राहकों का सर्वेक्षण कराया जाएगा जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे जैसे मूल्य, समयबद्ध सुपुर्दगी, तकनीकी विशेषताएं, सामग्री की उपलब्धता, वाणिज्यिक शर्तें, स्टॉकयार्ड सुविधाएं, बिलिंग तथा लेखा प्रक्रिया, कार्मिकों का व्यवहार, ग्राहक शिकायतों पर सुनवाई, बिक्री पश्चात सेवा,

पूर्व-बिक्री संविदा, पैकेजिंग आदि। निर्णायकों के पैनल के साथ विचार-विमर्श में इन घटकों की महत्ता निर्धारित की जाए।

5.7 पर्यावरण प्रबंधन (उप योग - 7)

(i) वायु प्रदूषण 1

निलंबित धूल कणों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदण्डों को पूरा करने में चिमनियों की प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

(ii) जल प्रदूषण 1

अपरिष्कृत इस्पात के प्रति टन विशिष्ट प्रदूषण लोड के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा।

(iii) ठोस अपशिष्ट उपयोगिता 3

ठोस अपशिष्ट उपयोगिता/पुन: उपयोग/बिक्री की प्रतिशतता के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा।

(iv) जल खपत 2

कारखाने में अपरिष्कृत इस्पात के प्रति टन उपयोग किए गए जल की खपत।

5.8 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (उप योग-4)

वितरण योग्य लाभ के प्रतिशत के रूप में सीएसआर पर व्यय। 4

5.9 सुरक्षा (उप - योग-3)

(i) बारंबारता दर-सूचना योग्य दुर्घटनाओं की संख्या प्रति मिलियन श्रम घंटे। 1

(ii) बचाव दर - प्रति मिलियन श्रम घंटे श्रम दिवसों की हानि। 1

(iii) घातक दुर्घटनाएं (संख्या) 1

5.10 अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर जोर (उपयोग -3)

(i) कारोबार के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी पर व्यय 2

(ii) आई पी आर की संख्या 1

5.11 समर्थ प्राचल (उप योग-20)

(i)	नेतृत्व	4
(ii)	नीति तथा रणनीति	3
(iii)	संसाधन प्रबंधन	3
(iv)	जनसाधारण प्रबंधन	4
(v)	प्रक्रिया प्रबंधन	6

इसका मूल्यांकन प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्त्ताओं की एक टीम द्वारा किया जाएगा। मूल्यांकन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश और उनके संबंध में अनुपूरक सूचना क्रमश: **अनुलग्नक-I और अनुलग्नक-II** में दी गई है।

5.12 संयंत्रों के दौरों के आधार पर निर्णायकों के पैनल की अभ्युक्तियां 15

निर्णायकों का पैनल विशिष्ट प्राचलों तथा ऐसे अन्य प्राचलों जिसे वह आवश्यक समझे, का मूल्यांकन करने के लिए न्यूनतम दो दिनों की अवधि के लिए प्रत्येक संयंत्र का दौरा करेगा ।

विभिन्न कारकों जैसे हाउस कीपिंग, पर्यावरण प्रबंधन एवं वृक्षारोपण, परिसरीय तथा अनुषंगी विकास, घातक दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रयास, औद्योगिक संबंध, उपस्करों की स्थिति, सुझाव योजनाओं तथा क्वालिटी सर्कलों जैसे लघु ग्रुप क्रियाकलापों के जरिए प्रबंधन में कामगारों एवं पर्यवेक्षकों की भागीदारी, अनुसंधान एवं विकास प्रयास, प्रबंधन नेतृत्व और प्रेरणा तथा दक्षता, गुणवत्ता और अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए इस्पात संयंत्र के प्रचालन के बारे में उनके अपने विचारों के संबंध में संयंत्र दौरों के समय उनकी अभ्युक्तियों के आधार पर ।

निर्णायकों का पैनल विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं को देखेगा:

i) प्रत्यक्ष कार्रवाई (अर्थात लाभ की तुलना में सीधे खर्च की गई राशि) अथवा अप्रत्यक्ष कार्रवाई (गैर सरकारी संगठनों के जरिए संवर्धन) आदि के संदर्भ में निगमित समाजिक दायित्व के लिए इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए प्रयास।

ii) समीपवर्ती आबादी विशेष रूप से आदिवासी आबादी के विकास के लिए इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए प्रयास (यदि कोई हों)।

iii) रूपांतरण की लागत को कम करने के लिए इस्पात संयंत्रों द्वारा किए गए प्रयास जिनसे ग्राहकों के लिए इस्पात की लागत कम होगी।

6.0 मूल्यांकन का पैमाना

मूल्यांकन 1 से 5 पैमाने के अनुसार लाईनर पद्धति से किया जाएगा:-

स्कोर:

(i) न्यूनतम से नीचे और न्यूनतम तक प्राचल मूल्य के लिए (सबसे खराब मूल्य) = 1

(ii) सबसे खराब मूल्य और सर्वोत्तम मूल्य के बीच प्राचल मूल्य के लिए = सीधी लाईन का उपयोग करते हुए 1 से 5 के बीच।

(iii) सर्वोत्तम मूल्य से ऊपर के मूल्यों के प्राचलों के लिए = पहले दशमलव तक 5 को राउंडेड ऑफ।

उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक प्राचल के लिए सर्वोत्तम मूल्य और सबसे खराब मूल्य अनुलग्नक-।।। में दिए गए हैं ।

7.0 पुरस्कार राशि का उपयोग

7.1 पुरस्कार जीतने वाले संयंत्र का संयंत्र प्रबंधन इस राशि का उपयोग संबंधित संयंत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रमशक्ति के जीवन स्तर के उत्थान के लिए खर्च करेगा:-

क) अस्पताल सुविधाओं सहित कर्मचारियों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार।

ख) एक छोटा हिस्सा (अर्थात् 10% तक) कर्मचारियों के लिए कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए श्रेष्ठ विभाग को आबंटित किया जा सकता है ।

ग) धन का पर्याप्त हिस्सा सावधि जमा में रखा जा सकता है तथा इससे प्राप्त लाभ को कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण में बढ़ावा देने के लिए विशिष्टता एवं साधन छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

घ) टाऊनशिप में सामुदायिक केन्द्रों का उन्नयन ।

ङ) टाउनशिप में खेल तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के लिए सुविधाएं बढ़ाना।

च) कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के कारण विकलांग हुए कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय मदद।

छ) कर्मचारियों के आश्रितों के लिए शैक्षिक/प्रायोगिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उनका विस्तार/परिवर्धन/संशोधन करना।

ज) महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा कर्मचारियों के अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक/प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

झ) संयंत्र की परिधि में रहने वाले लोगों के लिए शैक्षिक/प्रशिक्षण केन्द्रों/चिकित्सा तथा स्वच्छता कार्यक्रम तथा जल आपूर्ति कार्यक्रमों आदि के लिए सहायता।

7.2 निधि की देख-रेख एक संयुक्त समिति द्वारा की जाएगी जिसमें इस्पात संयंत्र के प्रबंधन, मान्यता प्राप्त यूनियनों तथा अधिकारियों की एसोशिएसनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

7.3 इस्पात संयंत्र की निधि की लेखा परीक्षा के तहत उपर्युक्त निधियों की लेखापरीक्षा भी शामिल है।

8.0 अनुसूची

मूल्यांकन तथा पुरस्कार प्रक्रिया के लिए समय-सीमा

कार्यकलाप	समय-सीमा
• मूल्यांकनकर्त्ताओं के लिए आवेदन आमंत्रित करना	1 मार्च
• मूल्यांकनकर्त्ताओं की नियुक्ति	31 मार्च
• संयंत्रों से निर्णयकों के पैनल के लिए नाम आमंत्रित करना	1 मार्च
• निर्णायकों के पैनल के नामों को अंतिम रूप देना और उनके पूर्ववृत का सत्यापन	अप्रैल-मई
• निर्णायकों के पैनल की नियुक्ति और आवेदन आमंत्रित करना	15 जून
• आवेदनों की प्राप्ति	15 जुलाई
• निर्णायकों के पैनल की पहली बैठक	31 जुलाई
• मूल्यांकनकताओं की रिपोर्ट (चरणों में)	31 अगस्त
• निर्णायकों के पैनल द्वारा संयंत्र का दौरा	सितंबर-अक्तूबर
• सचिवालय द्वारा रिपोर्ट तैयार करना	30 नवंबर
• निर्णायकों के पैनल की अंतिम बैठक/रिपोर्ट	31 दिसंबर

अनुलग्नक-I

समर्थ प्राचलों के मूल्यांकन के लिए संस्तुत दिशा-निर्देश

मानक 1 नेतृत्व

परिभाषा

नेता किस प्रकार मिशन और लक्ष्य को विकसित और उसकी प्राप्ति को सुगम बनाते हैं, दीर्घकालिक सफलता के लिए अपेक्षित मूल्य किस प्रकार विकसित करते हैं और उपयुक्त कार्रवाई और कार्य-व्यवहार द्वारा इन्हें कार्यान्वित करते हैं और व्यक्तिगत तौर पर यह सुनिश्चित करने में सन्निहित होते हैं कि प्रबंधन प्रणाली विकसित और कार्यान्वित की जाए।

उप मानक

नेतृत्व में निम्नलिखित उप मानक शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-

1(क). नेता यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं कि संगठन की प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाए, उसे कार्यान्वित किया जाए और उसमें निरंतर सुधार हो।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- अपनी नीति और रणनीति के समर्थन हेतु संगठन के ढांचे को व्यवस्थित करना;
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन प्रक्रियाओं के लिए एक प्रणाली तैयार की जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए;
- नीति के विकास, तैनाती से लागू करने और इसे अद्यतन करने के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना कि रणनीति विकसित की जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि महत्वपूर्ण परिणामों के प्रमापन, समीक्षा और इनमें सुधार हेतु एक प्रक्रिया तैयार की जाए और इसे कार्यान्वित किया जाए;
- यह सुनिश्चित करना कि सृजनात्मक नवीनता और सीखने संबंधी कार्यकलापों के जरिए सुधारों को प्रोत्साहित करने, अभिज्ञात करने, उनका नियोजन करने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार की जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए।

1 (ख). नेता ग्राहकों, भागीदारों और समाज के प्रतिनिधियों से जुड़े हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आवश्यकताओं और आशाओं को पूरा करना, उन्हें समझना और उन पर ध्यान देना;
- भागीदारी स्थापित करना और उसमें भागीदारी करना;
- संयुक्त सुधार कार्यकलाप शुरू करना और उनमें हिस्सा लेना ;
- व्यक्ति विशेष को और स्टेकहोल्डरों के दलों को कारोबार में उनके योगदान और उनकी निष्ठा आदि के लिए सम्मानित करना;
- उत्कृष्टता को बढ़ावा देने वाले और समर्थन करने वाले व्यावसायिक निकायों, संगोष्ठियों और सेमिनारों में हिस्सा लेना;
- ऐसे कार्यकलापों में सहयोग देना और करना जिनका उद्देश्य पर्यावरण और समाज में संगठन के योगदान में सुधार हो।

1 (ग). नेता संगठन के व्यक्तियों को अभिप्रेरित करते हैं, उनको सहयोग देते हैं और उनका सम्मान करते हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संगठन के मिशन, लक्ष्य, मूल्यों, नीति और रणनीति, योजनाओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में लोगों को व्यक्तिगत रूप से बताना;
- लोगों को सुलभ होना और उनकी बातें ध्यान से सुनना और उन पर ध्यान देना;
- लोगों को उनकी योजनाओं को पूरा करने, उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता करना;
- लोगों को सुधार संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना;
- संगठन में सभी स्तरों पर दल के रूप में और व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयासों के लिए व्यक्तियों और दलों को सही समय पर उपयुक्तत: सम्मानित करना।

मानक 2: नीति और रणनीति

परिभाषा

संगठन किस प्रकार संगत नीतियों, योजनाओं, उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रक्रियाओं तथा स्टेकहोल्डरों पर केंद्रित रणनीति के जरिए अपने मिशन और लक्ष्यों को कार्यान्वित करता है।

उप मानक

नीति और रणनीति में निम्नलिखित उप मानक शामिल होते हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2 (क). नीति और रणनीति स्टेकहोल्डरों की मौजूदा और भावी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित होती हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- बाजार और बाजार खंड को निर्धारित करने के लिए सूचना एकत्र करना और समझना जिसमें संगठन अभी और भविष्य में प्रचालन करेगा;
- ग्राहकों, कर्मचारियों, भागीदारों, समाज और शेयरधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझना और उनका अनुमान लगाना;
- प्रतिस्पर्धी कार्यकलापों सहित बाजार स्थान के विकास को समझना और अनुमान लगाना;

2 (ख). नीति और रणनीति निष्पादन प्रमापन, अनुसंधान संबंधी जानकारी और सृजनात्मक कार्यकलापों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है और इनका उपयोग मुख्य प्रक्रियाओं के फ्रेमवर्क के जरिए किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- आंतरिक निष्पादन संकेतकों से प्राप्त परिणामों को एकत्रित करना और समझना;
- सीखने संबंधी कार्यकलापों से प्राप्त परिणामों को एकत्रित करना और समझना;
- प्रतिस्पर्धियों तथा सर्वोत्तम संगठन के कार्यनिष्पादन का आंकन करना;
- सामाजिक, पर्यावरणात्मक और विधि संबंधी मुद्दों को समझना;
- आर्थिक और जनसांख्यिकी संकेतकों को अभिज्ञात करना और समझना;
- नई प्रौद्योगिकियों के प्रभाव को समझना;
- स्टेकहोल्डरों के विचारों का विश्लेषण करना और उनका उपयोग करना।
- संगठन की नीति व रणनीति के उपयोग के लिए आवश्यक मुख्य प्रक्रियाओं के फ्रेमवर्क को अभिज्ञात करना और उसकी डिज़ाइन करना।
- मुख्य प्रक्रियाओं का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करना।
- स्टेक होल्डरों की पहचान समेत मुख्य प्रक्रियाओं को परिभाषित करना।
- नीति और रणनीति तैयार करने के लिए मुख्य प्रक्रियाओं के फ्रेमवर्क की प्रभावकारिता की समीक्षा करना।

2 (ग). नीति और रणनीति को संप्रेषित और कार्यान्वित किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति का संप्रेषण एवं सोपान, जो समुचित हो;
- पूरे संगठन के कार्यकलापों की आयोजना करने, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नीति और रणनीति का उपयोग इनके आधार के रूप में करना;
- योजनाओं, उद्देश्यों और लक्ष्यों को व्यवस्थित करना, उनकी प्राथमिकताएं तय करना और उन्हें संप्रेषित करना;
- नीति और रणनीति के प्रति जागरूकता का मूल्यांकन करना।

मानक 3: जनसामान्य

परिभाषा

संगठन किस प्रकार व्यक्ति विशेष, दल और संगठन स्तर पर अपने कर्मचारियों की जानकारी और उनकी पूरी क्षमता का प्रबंधन करता है, उसे विकसित करता है और प्रसार करता है और अपनी नीति और रणनीति के समर्थन और अपनी प्रक्रियाओं के प्रभावी प्रचालन के लिए इन कार्यकलापों की योजना बनाता है।

उप मानक

व्यक्तियों में निम्नलिखित उप मानक शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:-

3 (क). कर्मचारियों की जानकारी और क्षमता अभिज्ञात और विकसित की जाती है तथा उसे बनाए रखा जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- कर्मचारियों की जानकारी और क्षमता को संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप अभिज्ञात करना और वर्गीकृत करना;
- संगठन की क्षमता संबंधी मौजूदा और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की सहायता के लिए प्रशिक्षण और विकास योजनाएं तैयार करना और उनका उपयोग करना;

- व्यक्तियों, दलों और संगठनात्मक जानकारी संबंधी अवसरों को रूपांकित करना और उन्हें बढ़ावा देना;

- कार्य अनुभव के जरिए कर्मचारियों का विकास;

- दलगत दक्षता विकसित करना;

- व्यक्तियों और दल के उद्देश्यों को संगठन के लक्ष्यों के अनुरूप व्यवस्थित करना;

- व्यक्तियों और दल के उद्देश्यों की समीक्षा करना और उन्हें अद्यतन करना;

- लोगों के निष्पादन का मूल्यांकन करना और सुधार करना।

3 (ख). कर्मचारियों को शामिल किया जाता है और उन्हें अधिकार दिए जाते हैं।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- व्यक्तियों और दलों को सुधार संबंधी कार्यकलापों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना;

- आंतरिक संगोष्ठियों और समारोहों के जरिए कर्मचारियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना;

- ऐसे अवसर उपलब्ध करवाना जिनसे कर्मचारी शामिल होने को प्रोत्साहित हों और नवीनता और सृजनात्मक कार्य हेतु सहायता करना;

- कर्मचारियों को कार्रवाई करने के लिए अधिकार प्रदान करना;

- कर्मचारियों को एक साथ दल के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना।

3 (ग). कर्मचारियों और संगठन में परस्पर संवाद रहता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- संप्रेषण संबंधी आवश्यकताएं अभिज्ञात करना;

- संप्रेषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर संप्रेषण नीतियाँ, रणनीतियाँ और योजनाएं तैयार करना;

- टॉप डाउन, बॉटम अप और हॉरीजोंटल संप्रेषण चैनल विकसित करना और इनका उपयोग करना;
- सर्वश्रेष्ठ पद्धति और जानकारी का आदान प्रदान।

3 (घ) कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- पारिश्रमिक, पुनर्तैनाती, अनावश्यकता और रोजगार की अन्य शर्तों को नीति और रणनीति के अनुरूप तय करना;
- कर्मचारियों को जुडे रहने और अधिकार संपन्न बनाने के लिए सम्मानित करना;
- सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता और इनमें शामिल होने को बढावा देना;
- पेंशन योजना, स्वास्थ्य रक्षा, बाल सुरक्षा जैसे लाभों के स्तर निर्धारित करना;
- सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढावा देना;
- लोचनीय समय और परिवहन जैसी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध करना।

मानक 4 भागीदारियां और संसाधन

परिभाषा

संगठन अपनी नीति और रणनीति का समर्थन करने और अपनी प्रक्रियाओं के प्रभावी प्रचालन के लिए किस प्रकार बाह्य भागीदारियों और आंतरिक संसाधनों की आयोजना करता है और प्रबंधन करता है।

उप मानक

भागीदारियों और संसाधनों में निम्नलिखित उप मानक शामिल हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

4 (क). बाह्य भागीदारियों का प्रबंधन किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- नीति और रणनीति के अनुरूप मुख्य भागीदारों और नीतिपरक भागीदारी के अवसरों को अभिज्ञात करना;

- मूल्य सृजित करने और उन्हें बढ़ाने के लिए भागीदारी संबंध की संरचना करना;

- मूल्यवर्धन आपूर्ति श्रृंखला वाली भागीदारियां करना;

- नीति और रणनीति तथा कारोबार और समाज पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक तथा नई प्रौद्योगिकियों को अभिज्ञात करना और उनका मूल्यांकन करना;

- प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना;

- मौजूदा प्रौद्योगिकी का संदोहन करना;

- प्रौद्योगिकी का अभिनवीकरण।

- सुधार में सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग;

- अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को अभिज्ञात करना और प्रतिस्थापित करना;

4 (ख). प्रौद्योगिकी का प्रबंध किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- नीति और रणनीति तथा कारोबार और समाज पर उनके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक तथा नई प्रौद्योगिकियों को अभिज्ञात करना और उनका मूल्यांकन करना;

- प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो का प्रबंधन करना;

- मौजूदा प्रौद्योगिकी का संदोहन करना;

- प्रौद्योगिकी का अभिनवीकरण।

- सुधार में सहयोग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग;

- अप्रचलित प्रौद्योगिकियों को अभिज्ञात करना और प्रतिस्थापित करना;

4 (ग). सूचना और जानकारी का प्रबंध किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- नीति और रणनीति के समर्थन में सूचना और जानकारी एकत्रित करना, संरचना करना और उनका प्रबंधन करना;
- आन्तरिक और बाह्य, दोनों प्रयोगकर्त्ताओं के लिए उपयुक्त सूचना और जानकारी उपलब्ध कराना ।
- सूचना की वैधता, उनकी एकरूपता और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसमें सुधार करना ।
- उपभोक्ता मूल्य को उच्चतम सीमा तक बढ़ाने के लिए अद्वितीय बौद्धिक संपत्ति का सृजन, विकास और उसकी सुरक्षा ।
- जानकारी को प्रभावी रूप से प्राप्त करना, उनका संवर्धन तथा उपयोग ।
- संगत सूचना और जानकारी के साधनों का प्रयोग करके संगठन में नवीनतम और रचनात्मक सोच का सृजन करना ।

मानदण्ड: 5 <u>प्रक्रियाएं</u>

<u>परिभाषा</u>

अपनी नीतियों और रणनीतियों के समर्थन में संगठन किस प्रकार अपनी प्रक्रियाओं को रूपांकित करता है, उनका प्रबंधन करता है और उनमें सुधार करता है तथा किस प्रकार अपने उपभोक्ताओं और अन्य स्टेकहोल्डरों की संतुष्टि के लिए बढ़ते हुए मूल्य का सृजन करता है ।

उप-मानक:

प्रक्रिया में निम्नलिखित उप मानक सम्मिलित हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए:

5 (क). प्रक्रियाओं सुव्यवस्थित रूप से रूपांकित किया जाता है और उनका प्रबंधन किया जाता है।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- संगठन की प्रक्रियाओं को रूपांकित करना । इनमें वे प्रमुख प्रक्रियाएं शामिल हैं जो नीति और रणनीति के लिए आवश्यक हैं ।
- प्रयोग हेतु प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना ।
- प्रक्रिया प्रबंधन में गुणवत्ता प्रणालियों जैसे कि आई एस ओ 9000, पर्यावरणीय प्रणालियाँ, कामगारों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रणालियों के लिए प्रणाली मानक लागू करना ।
- प्रक्रिया संबंधी उपायों का कार्यान्वयन करना और निष्पादन लक्ष्य निर्धारित करना ।
- शुरू से अन्त तक की प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संगठन के अन्दर और बाह्य पार्टनरों के साथ आपसी मामलों को हल करना ।

5 (ख). उपभोक्ता और अन्य शेयरधारकों की सृजन पूर्ण संतुष्टि के लिए आवश्यकतानुसार अपेक्षित परिवर्तन करके प्रकियाओं में सुधार करना और मूल्य संवर्धन करना।

इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- सुधार और अन्य परिवर्तन, वृद्धिपरक और परिणामदायक, दोनों अवसरों को अभिज्ञात करना ओर उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करना ।
- सुधार और बेहतर प्रचालन विधि की प्राथमिकता निर्धारित करने और उनके लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सीखने वाली गतिविधियों से प्राप्त सूचना तथा निष्पादन और परिणामों का उपयोग करना ।
- वृद्धिपरक और परिणामदायक सुधारों में कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और साझेदारों की रचनात्मक और नवीन प्रतिभा को प्रोत्साहन देना ।
- नई प्रक्रिया डिजाइनों, प्रचालनात्मक दर्शन और सुदृढ प्रौद्योगिकियों की खोज करना और उनका प्रयोग करना ।
- परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त पद्धतियां स्थापित करना ।
- नई या परिवर्तित प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करना और उनका नियंत्रण करना।
- इन प्रक्रिया परिवर्तनों को सभी उचित स्टेकहोल्डरों को संसूचित करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि क्रियान्वयन से पहले नई और परिवर्तित प्रक्रियाओं के प्रचालन के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रिया परिवर्तनों से अनुमानित परिणाम प्राप्त होंगे।

5 (ग). उपभोक्ताओं की जरूरतों और आशाओं के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं को रूपांकित किया जाता है और विकसित किया जाता है।

इनमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है:

- विद्यमान तथा भावी उत्पादों और सेवाओं हेतु उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को निर्धारित करने के लिए बाजार अनुसंधान, उपभोक्ता सर्वेक्षण और अन्य प्रकार के परिणामों का उपयोग करना और विद्यमान उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में उनका अवबोधन ।

- उपभोक्ता की भावी आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं में बढ़ोतरी करने के लिए सुधार कार्य अभिज्ञात करना ।

- उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नए उत्पादों और सेवाओं को रूपांकित करना और उन्हें विकसित करना ।

- प्रतिस्पर्धी उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए रचनात्मकता और अभिनव परिवर्तनों का उपयोग करना ।

- साझेदारों के साथ मिलकर नए उत्पादों का सृजन ।

5 (घ) उत्पाद और सेवाएं सृजित की जाती हैं, डिलीवर की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं।

इनमें निम्नलिखितशामिल हैं :

- डिजाइन और परिवर्तनों के अनुरूप उत्पाद और सेवाएं सृजित करना अथवा हासिल करना।
- मौजूदा और संभावित उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाओं का संप्रेषण और विपणन तथा उनकी बिक्री
- उपभोक्ताओं को उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध कराना ।
- जहां कहीं उचित हो, उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करना ।

5 (ङ) उपभोक्ता संबंधों का प्रबंधन किया जाता है और उन्हें बढ़ाया जाता है।

इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- उपभोक्ताओं की दिन-प्रतिदिन की संपर्क संबंधी आवश्यकताएं निर्धारित करना तथा उन्हें पूरा करना

- शिकायतों सहित दिन-प्रतिदिन के संपर्क संबंधी सूचना की हैंडलिंग।

- उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श करने के उद्देश्य से उनके साथ सक्रिय सहयोग करना ।

- उत्पाद, सेवाएं और अन्य उपभोक्ता बिक्री तथा सेवा प्रक्रियाओं की संतुष्टि के स्तर तय करने के उद्देश्य से बिक्री, सेवा तथा अन्य के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई

- उपभोक्ता बिक्री और वितरण संबंधों में रचनात्मकता और नवीनता बनाए रखना ।

- उपभोक्ताओं के संबंधों की संतुष्टि के स्तर को निर्धारित करने और उसे बढ़ाने के लिए नियमित सर्वेक्षण, ढांचागत आंकड़े एकत्रित करने के अन्य उपायों और उपभोक्ता के दिन-प्रतिदिन संबंधों के एकत्रित आंकडों का उपयोग करना ।

अनुलग्नक-II

सार्थक प्राचलों के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुपूरक

(क) आंकड़े एकत्र करना

आंकड़े एक प्रश्नावली के जरिए एकत्र किए जाएंगे । प्रत्येक प्रश्न अनुलग्नक-I के अन्तर्गत सार्थक प्राचलों के तहत उल्लिखित उप मानक में से चयनित क्षेत्र से संबंधित होगा । उत्तर देने वाले संगठन को प्रश्न के उत्तर के साथ आवश्यक सहायक प्रमाण देना अपेक्षित है। उत्तर में मात्रात्मक अथवा गुणवत्तात्मक अथवा दोनों किस्म के आंकड़े शामिल होने चाहिए ।

दिए जाने वाले आंकड़े प्रत्येक सार्थक प्राचल/उप प्राचल की प्रक्रिया अथवा उत्पादन पहलू से संबंधित हो सकते हैं।

(ख) मूल्यांकन

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन प्रक्रिया परिपक्वता मॉडल के आधार पर किया जाएगा । मूल्यांकन के बाद ग्रेड की रैंकिंग पद्धति का पालन किया जाएगा जिसमें अंक दो चरणों - कोर्स और अन्तिम, में दिए जाएंगे ।

(ग) उदाहरण

नीचे उल्लिखित मानदण्ड, उप मानदण्ड और ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र अनुलग्नक - I में दिए गए संस्तुत दिशा-निर्देशों से उद्धृत किए गए हैं।

उदाहरण-I

मानक - नेतृत्व

उप-मानक - नेता उद्देश्य, दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करते हैं, तथा एक उत्कृष्ट संस्कृति के महत्वपूर्ण मॉडल होते हैं ।

ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र - विकास करना और संगठन का उद्देश्य तथा दृष्टिकोण

प्रश्न

(क) कृपया उपक्रम का दृष्टिकोण बताएं ?

(ख) आपने यह दृष्टिकोण कैसे प्राप्त किया ?

(ग) उपरोक्त दृष्टिकोण की सतत संगतता को आप कैसे सुनिश्चित करते हैं ?

उदाहरण-।।

मानक - नेतृत्व

उप-मानक - नेता ग्राहकों, भागीदारों और समाज के प्रतिनिधियों से जुडे होते हैं ।

ध्यान दिए जाने वाले के क्षेत्र : पर्यावरण में सुधार करने और समाज के लिए संगठन के योगदान के उद्देश्य से कार्यकलापों का समर्थन तथा कार्य करना ।

प्रश्न

(क) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए आपके संगठन की क्या नीति है ?

(ख) विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए संस्थागत ढांचा क्या है?

(ग) विशेष रूप से अभिज्ञात मानकों के लिए किए गए कार्यकलापों का क्या स्वरूप है ?

उदाहरण-।।।

मानक - साझेदारियां और संसाधन

उप-मानक - भवन, उपकरण और सामग्री का प्रबंधन किया जाता है।

ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्र -कुल परिसम्पत्ति जीवनकाल चक्र निष्पादन में सुधार करने के लिए परिसम्पत्तियों का प्रबंधन, अनुरक्षण और उपयोग ।

उप-क्षेत्र - सुविधा अनुरक्षण आयोजना और नियंत्रण

प्रश्न

(क) अपनी अनुरक्षण नीति का उल्लेख करें ।

(ख) अनुरक्षण आयोजना और नियंत्रण की प्रक्रिया बताएं ।

(ग) अनुरक्षण कार्य पद्धतियों के सुधार के लिए प्रक्रिया बताएं।

(घ) समय

प्रश्नावली तैयार की जा रही है । फाइनल प्रश्नावली प्रत्येक प्रत्युत्तर देने वाले संगठन को यथासमय भेज दी जाएगी ।

अनुलग्नक-III

लाइनर पद्धति द्वारा 5 प्वाइंट पैमाने में अंक देने के लिए वस्तुनिष्ठ प्राचलों के सर्वोत्तम और सबसे खराब मूल्य

क्र.सं.	प्राचल	मापन की इकाई	सर्वोत्तम मूल्य	सबसे खराब मूल्य
1	क्षमता उपयोगिता	%	120.0%	90%
2.0	प्रचालन दक्षता			
2.1	कार्बन दर			
क)	धमन भट्टी में कार्बन की दर	किग्रा/टीएचएम	450	500
ख)	कोरक्स भट्टियों के कार्बन दर	किग्रा/टीएचएम	575	675
ग)	एचबीआई/डीआरआई इकाइयों में ईधन की खपत	जी कैल/टी	2.5	3.0
2.2	धमन भट्टी, कोरेक्स भट्टी, एचबीआई अथवा डीआरआई किल्न उत्पादकता			
क.	धमन भट्टी उत्पादकता	किग्रा/एम3/दिन	2.39	1.0
ख.	कोरैक्स भट्टियों की उत्पादकता	टी/घंटा	100	90
ग.	डीआरआई किल्न उत्पादकता	टी/दिन/एम3	9.0	8.0
2.3	इस्पात निर्माण भट्टी उत्पादकता	ताप/कनवर्टर/वर्ष		
क.	बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)		10000	4000
ख.	इलैक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)		6000	3500
2.4	समग्र विशिष्ट ऊर्जा खपत			
क.	ऊर्जा खपत (बीएफ/कोरैक्स +बीओएफ संयंत्र)	जीकैल/टीसीएस	5.91	9.0
ख.	ऊर्जा खपत (एचबीआई/डीआरआई + ईएएफ सयंत्र)	जीकैल/टीसीएस	5.0	6
2.5	श्रम उत्पादकता			
क.	श्रम उत्पादकता (बीएफ+बीओएफ संयंत्र)	टी/व्यक्ति/वर्ष	280	100
ख.	श्रम उत्पादकता (कोरैक्स+बीओएफ संयंत्र)	टी/व्यक्ति/वर्ष	480	250
ग.	श्रम उत्पादकता (एचबीआई	टी/व्यक्ति/वर्ष	1800	800

	+ ईएएफ सयंत्र संयंत्र)			
3.0	वित्तीय निष्पादन			
क.	सकल मार्जिन/कारोबार अनुपात	अनुपात	30.0%	10.0%
ख.	सकल मार्जिन/लगाई गई पूंजी	अनुपात	90.0%	20.0%
ग.	कारोबार/इनवेंटरी अनुपात	अनुपात	12	5
घ.	सकल मूल्य की तुलना में पूंजीकृत व्यय	अनुपात	10%	5%
4.0	निर्यात निष्पादन			
क.	निर्यात मूल्य अनुपात	अनुपात	40.0%	5.0%
5.0	उत्पादों की गुणवत्ता			
क.	विशेष इस्पात उत्पादन	%	70.0%	20.0%
ख.	विकसित किए गए नए उत्पाद	संख्या	10	2
6.0	पर्यावरण प्रबंधन			
क.	वायु प्रदूषण	नॉर्म स्टेक का %	100%	95%
ख.	जल प्रदूषण	किग्रा/टीसीएस	0.1	1.99
ग.	ठोस अपशिष्ट की उपयोगिता	%	90.0%	30.0%
घ.	विशिष्ट जल खपत	एम3/टीसीएस	2	8
7.0	निगमित सामाजिक जिम्मेदारी			
क.	वितरण योग्य लाभ के प्रतिशत के रूप में सीएसआर पर व्यय	%	1.5	0.5
8.0	सुरक्षा (ठेका श्रम सहित)			
क.	बारंबारता दर	सूचना योग्य दुर्घटनाओं की संख्या $\times 10^6$ / काम के श्रम घंटे	0.5	4.0
ख.	बचाव दर	श्रम दिवसों की हानि $\times 10^6$ / काम के श्रम घंटे	0	2000
ग.	घातक दुर्घटनाएं	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	0	0
9.0	अनुसंधान एवं विकास पर बल			
क.	अनुसंधान एवं विकास व्यय	कारोबार के प्रतिशत के रूप में	0.2	0
ख.	आईपीआर	संख्या	5	1

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2008

सं. एफ. 9-51/2004-यू.3--

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत "समविश्वविद्यालय" के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है!

2. और जबकि नुरुल इस्लाम इंजीनियरी कालेज, कुमारकोइल, थकले, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें समविश्वविद्यालय का दर्जा देने का अनुरोध किया गया है;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है और अपने दिनांक 11 अगस्त, 2008 के पत्र संख्या एफ. 6-2/2005(सीपीपी-I) के द्वारा नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र, कुमारकोइल, थकले को पांच वर्ष के बाद समीक्षा की शर्त के अधीन 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है;

4. अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा घोषणा करती है कि "नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र", कुमारकोइल, थकले, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की शर्त के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम "सम-विश्वविद्यालय संस्था" होगा :

(i) **नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र, कुमारकोइल, थकले, कन्याकुमारी जिला (तमिलनाडु) स्थित "नुरुल इस्लाम इंजीनियरी कालेज" को अपनी शिक्षण संघटक यूनिट के रूप में शामिल करेगा;**

(ii) उपर्युक्त घोषणा के तहत नुरुल इस्लाम इंजीनियरी कालेज के केवल उन अकादमिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को ही शामिल किया जाएगा जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) से अनुमोदित हो;

(iii) नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र संबंधित संबंधन विश्वविद्यालय अर्थात अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई/तिरूनेल्वेली से नुरुल इस्लाम इंजीनियरी कालेज का संबंधन समाप्त होने की तारीख से "सम-विश्वविद्यालय" होगा;

(iv) नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र को प्रदान किए गए दर्जे की पाँच वर्ष की अवधि के बाद समीक्षा की जाएगी।

5. विशेषज्ञ समिति के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई समीक्षा तथा इसके संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के आधार पर पाँच वर्ष की अवधि के बाद नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र को प्रदान किए गए दर्जे की पुष्टि की जाएगी;

6. उपर्युक्त पैरा 4 में की गयी उद्घोषणा उन शर्तों को पूरा करने/अनुपालन करने के अधीन भी है जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन 4 में किया गया है।

7. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नुरुल इस्लाम उच्चतर शिक्षा केन्द्र अथवा इसकी किसी अंगीभूत शिक्षण यूनिट को योजनागत और योजनेतर के रूप में कोई सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 18th December 2008

RESOLUTION

No. I/20017/01/2004-O.L.(Policy-1)—The Government of India extends the term of the Kendriya Hindi Samiti, Notified vide Resolution No. I/20017/01/2004-O.L.(Policy-1) dated 15.12.2004 and its term was extended for one year i.e. from 15.12.2007 to 14.12.2008 vide resolution of even No. dated 22.08.2007. The term of this Samiti is further extended for three months i.e. from 15.12.2008 to 13.03.2009.

D.K. PANDEY
Joint Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi-110011, the 22nd December 2008

RESOLUTION

No. 14(1)/2008-TW. Ministry of Steel, Government of India, hereby constitutes a 'Panel of Judges' to evaluate the performance of the Integrated Steel Plants in India for awarding the Prime Minister's Trophy and the Steel Minister's Trophy for excellence in performance for the year 2007-08. The Panel of Judges will consist of the following:

1. Shri Promod Kumar Rastogi, IAS — Chairman
   Secretary to the Government of India,
   Ministry of Steel,
   Udyog Bhavan,
   New Delhi 110107.

2. Shri Jagdish Khattar, — Member
   Ex Managing Director,
   Maruti Udyog Limited,
   E-16, Sector - 40,
   NOIDA,
   Gautham Buddha Nagar – 201 301

3. Shri D.R. Ahuja, — Member
   Former CMD,
   Rashtriya Ispat Nigam Ltd.
   C-22A, Sushant Lok-1,
   Gurgaon –122 002.
   Haryana

4. Prof. A.K. Lahiri (Retd) — Member
   Department of Metallurgy,
   Indian Institute of Science
   Flat 208, Pranava Complex,
   No.3, 5th Cross, Malleswaram,
   Bangalore – 560 003

5. Shri K.A.P. Singh,
Ex-Managing Director,
Bokaro Steel Plant,
G-402, Ispatika,
Plot No.29, Sector – 4,
Dwarka,
New Delhi – 110 078 — Member

6. Shri S.N.Mishra,
Ex Director (Projects),
Steel Authority of India Limited,
571, Shakuntalam Cooperative Society,
Plot No.16,
Sector – 10, Dwarka,
New Delhi – 110 075 — Member

7. Shri Anil Aggarwal,
Financial Expert & Independent Director,
MECON,
B-139, Kalkaji,
New Delhi – 110 019 — Member

8. Shri Sanjay Chandra,
Managing Director,
Unitech Limited,
Unitech Signature Towers, GF,
South City – I,
Gurgaon – 122 002 — Member

9. Shri Pradyumna Jajodia,
Executive Director,
Warden Group of Companies,
Warden House,
340, JJ Road,
Mumbai – 400 008 — Member

10. Shri Ramyash Singh,
President,
INTUC, Haridwar & General Secretary,
Indian National Sugar Mills Workers' Association,
163 / III / I, BHEL, Ranipur,
Haridwar – 249 403
Uttranchal — Member

11. Shri S. Swaminathan,
National Working President,
Jan Shakti Majdoor Sabha,
(Lok Janshakti Party Labour Cell)
201, Second Floor,
Gautam Nagar,
New Delhi – 110 049 — Member

12. Shri Udai Pratap Singh, Member-Secretary
Joint Secretary to the Government of India,
Ministry of Steel,
Udyog Bhawan,
New Delhi – 110 011

2.0 The terms of reference of Panel of Judges are as follows:-

2.1 To evaluate performance of all integrated steel plants in India, for the year 2007-08, starting operation from virgin iron unit in one location and having minimum production capacity of 1 million tonne of crude steel per year and having completed commercial operation for at **least** two years. The plants may operate either through the conventional route of Coke Oven-Blast Furnace-Steel Making-Casting and Rolling & Finishing Mills or through route of Direct Reduced Iron (DRI)/ Hot Briquetting Iron (HBI) (with or without Blast Furnace), Electric Arc Furnace (EAF) Steel Making-Casting and Rolling & Finishing Mills or the route of COREX Furnace (with or without Blast Furnace) - Basic Oxygen Furnace (BOF) Steel Making – Casting and Rolling & Finishing Mills.

2.2 The evaluation will be made in terms of the predetermined Scheme (amended from time to time) annexed with this Resolution.

2.3 However, the Panel of Judges may also take into consideration the suggestions received from different participating steel Plants or Panel of Judges of the previous years, from time to time with respect to the scheme as deemed fit.

2.4 The Panel of Judges will select and recommend two steel plants, one for award of the Prime Minister's Trophy with cash award of Rs.2 crore and one for Runners up PM's Trophy as Steel Minister's Trophy with cash award of Rs.1 crore, for excellence in performance for the year 2007-08.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

UDAI PRATAP SINGH
Joint Secy.

SCHEME FOR AWARD OF PRIME MINISTER'S TROPHY FOR EXCELLENCE IN PERFORMANCE OF INTEGRATED STEEL PLANTS

(as amended upto September, 2008)

1.0 GENESIS

Consequent upon the announcement made by former Prime Minister, Late Shri P.V. Narsimha Rao, while dedicating Visakhapatnam Steel Plant of Rashtriya Ispat Nigam Ltd. to the Nation on 1.8.1992, Government have decided to present an award known as Prime Minister's Trophy with a cash award of Rs. 1 crore and a citation each year to the best performing integrated steel plant to generate a sense of competition and to improve upon performance of the integrated steel plants in the country.

1.1 The Government of India has enhanced the cash award from Rs. 1 crore to Rs. 2 crores for the best performing integrated steel plant from the performance year 2006-07. Any steel plant that wins the PM's Trophy for two consecutive years, will not be given the trophy and the cash award in third year. Trophy and the cash award will be given to the next best steel plant and a Certificate of Excellence will be given to the best steel plant who gets the maximum marks.

1.2 Runners up Prime Minister's Trophy in the name of Steel Minister's Trophy with a cash award of Rs. 1 crore has been incorporated from the assessment year 2006-07 in the Prime Minister's Trophy Scheme. The Steel Minister's Trophy and cash award of Rs. 1 crore would be given to the steel plant who ranks second in the overall performance. In case the second best steel plant gets the Prime Minister's Trophy and the cash award of Rs. 2 crore as per para 1.1 above, the Steel Minister's Trophy & cash award of Rs. 1 crore will go to the 3rd.best steel plant.

2.0 OBJECTIVES

The objectives of instituting these awards for the integrated steel plants is to give recognition to outstanding performance in the vital sector of the national economy which draws heavily on national resources of capital and skilled manpower. The awards are intended to spur these major iron & steel producers to achieve international standards of efficiency, quality and economy in their operations.

3.0 ELIGIBILITY

All integrated steel plants in India starting operation from virgin iron units in one location, having minimum production capacity of one million tonne of crude steel per year and having completed commercial operation for at least two years are eligible to participate. The plants may operate through the conventional route of Coke Oven-Blast Furnace (BF)-Steel Making and Finishing Mills or through Direct Reduction Iron (DRI)/Hot Briquetted Iron (HBI) (with/ without blast furnace) -Electric Arc Furnace (EAF) Steel Making and Finishing Mills or through COREX Furnace (with/ without blast furnace) -Basic Oxygen Furnace (BOF)-Steel Making and Finishing Mills.

4.0 SCHEME

4.1 The details of the scheme and the set of criteria for evaluating the performance of the integrated steel plants had initially been worked out by an Expert Committee constituted by Government of India, Ministry of Steel. The criteria and the benchmarking of the same has been further elaborated by the Panel of Judges for Prime Minister's Trophy for different years and other Expert Committee(s) constituted from time to time. The criteria for evaluation of the performance of integrated steel plants now take care of the present day business environment.

4.2 As per the recommendations of the Expert Committee and amendments carried out by the Government of India, 12 main parameters have been evolved for evaluating the performance of the integrated steel plants. These are given below:-

- Saleable steel capacity utilization
- Efficiency of operations
- Financial performance
- Export performance
- Quality of products
- Environment management
- Corporate Social Responsibility
- Safety
- Thrust on R&D
- Customer satisfaction
- Enabling parameters
- Observation of the Panel of Judges based on plant visits.

4.3 The evaluation will be carried out by a Panel of Judges comprising of the following :-

-	Secretary to the Government of India, Ministry of Steel	Chairman
-	Expert(s) on Iron & Steel Industry	Member
-	Representative(s) of the customers	Member
-	Management Expert(s)	Member
-	Economist(s)	Member
-	Joint Secretary to the Government of of India, Ministry of Steel	Member Secretary

4.3.1 More members of the Panel of Judges should be drawn from among former heads of Public & private sector companies, Engineering units, Indian Institute of Management and other reputed Management Institutes, Indian Institute of Technology, economists etc.

4.3.2 A nominee of recognized trade union shall also be inducted as a member of Panel of Judges, who will be appointed by Steel Minister (In-charge) to Prime Minister's Trophy , as per Government Guidelines in vogue.

4.4 Customer satisfaction survey and assessment of enabling parameters will be done by independent expert agencies and trained assessors.

4.5 The customer satisfaction survey should be concurrent with the visits of the Panel of Judges and the assessment of the enabling parameters should be made available to the Panel of Judges before their visits to the plants.

4.6 The agency undertaking the study of enabling parameters will make an appraisal in respect of each of the criteria and will provide professional assistance to the Panel of Judges to award marks for enabling parameters

4.7 Economic Research Unit of Joint Plant Committee, New Delhi will function as PM's Trophy Secretariat (Ministry of Steel) and provide the secretarial services and general assistance to the Panel of Judges. The representatives of participating Steel Plants will also assist the Secretariat. The participating steel plants will share the cost incurred by the Secretariat towards the process of evaluation in the ratio of their rated crude steel production capacity. The cost of the visits to the plants by the Panel of Judges will be borne fully by the concerned plants. The cost of visit to Delhi by the Panel of Judges will, however, be borne by the Secretariat.

4.8 The task of the Secretariat shall be coordinated with the Panel of Judges through the Member Secretary. It will give wide publicity and evolve a format for collection of information from the competing plants. The Secretariat, in consultation with the Member Secretary, will prepare and summarize the total background information in the required format for submission to the Panel of Judges. It will also provide general assistance to the Panel of Judges and organise the award distribution function(s) in coordination with the concerned plant(s).

4.9 The venue of the Award function will be the location of the plant winning the award for the particular year unless otherwise decided by the Government of India.

4.10 The award is an annual feature, but a minimum cut off limit of 60% is recommended. If no plant scores more than the minimum cut off limit in any particular year, the award may be skipped for that year.

5.0 PARAMETERS FOR EVALUATION **Weightage (%)**

5.1 SALEABLE STEEL CAPACITY UTILIZATION(SUB-TOTAL 2) 2

The rated / nameplate saleable steel capacity is to be adopted for evaluation of individual steel plants. The capacity will be taken as per Detailed Project Report (DPR) where DPR has been made by consultants. In case, the DPR has not been

received, the production level envisaged at the time of financial appraisal/ closure of project and approved by company's Board may be adopted as capacity. Where facilities for increase in capacity are being progressively commissioned and the full capacity is not available throughout the year, the capacity available during the year is to be calculated on prorata basis without allowance for gestation period and basis of calculation to be shown separately. Production from assets not capitalized to be excluded, maintaining consistency with financial information. If certain facilities have been phased out on a permanent basis, the same is to be deducted from DPR capacity and details of phasing out may be given.

Production is to be suitably adjusted for semi-finished products, if they are more than envisaged in the DPR / Board approval.

5.2 EFFICIENCY OF OPERATIONS (SUB-TOTAL 16)

i) **Carbon rate** in Blast Furnaces or COREX Furnaces (Kg/t of Hot Metal), **Heat input** (G.Cal/t) of DRI or HBI — **2**

(a) Carbon rate in Blast Furnaces may be worked out as follows :-

Actual skip coke charged in the blast furnace x average fixed carbon fraction of the BF Coke. Fixed carbon is defined as "100 minus % ash in coke on dry basis".

Nut coke charged into the blast furnaces along with sinter should be considered at 100% replacement ratio with BF coke.

For auxiliary fuels like coal dust, coal tar etc. the carbon rate is to be worked out as follows:

Equivalent Coke rate = Auxiliary Fuel / tonne of Hot metal x Replacement ratio.

Carbon rate (Auxiliary Fuels) = Equivalent Coke rate x Average Fixed carbon of BF coke.

Benchmark for carbon rate in Blast Furnaces : 450 kg/tonne

(b) Carbon rate in COREX Furnaces may be worked out as follows:

Carbon rate in COREX Furnace = total coal rate in COREX Furnace X average fixed carbon fraction in non-coking coal. Average fixed carbon in non-coking coal is defined as 100 minus % ash in non-coking coal on dry basis. Thus, equivalent coal rate = coke consumption in reduction shaft per tonne of hot metal X replacement ratio.

Benchmark for carbon rate in COREX Furnaces : 575 kg/tonne.

(c) **Benchmark** for Fuel Rate for HBI / DRI plants: 2.5 G.cal/tonne

ii) **Blast** Furnace, COREX Furnace, HBI or DRI **Furnace productivity** (t/m^3/day) 3

(a) BF, HBI or DRI furnace productivity is evaluated as Hot metal, HBI or DRI production per cubic metre of working volume of furnace per available day. Working volume for blast furnace is defined as the volume of the furnace contained between centre line of the tuyers and normal stock line/Big bell in open position. Available days are calculated as the difference of calendar days and duration of capital repair. However, normal maintenance time should not be added to the capital repairs time.

Benchmark for blast furnace productivity : 2.39 t/m^3 / available day.

Benchmark for HBI / DRI furnace productivity: 9t/m^3/ available day.

(b) **COREX Furnace Productivity**

COREX Furnace productivity is evaluated as tonnes of hot metal produced per hour on yearly average basis. That is, COREX Furnace productivity is = annual production in tonne ÷ annual operating hours. Annual operating hours are estimated as the difference of calendar hours and the duration of capital repair and actual planed shut down days of the COREX – Furnace units, not exceeding 12 days per furnace per year. However, normal maintenance time should not be added to the capital repair time.

Benchmark for COREX furnace productivity : 100t/m^3 / available day.

(iii) **Steel Furnace (BOF/EAF) Productivity** (Number of heats made/ available converter / year) 2

Number of heats made / available converter / year = total number of heats in a year ÷ number of installed converters x converter availability.

Number of heats = number of heats tapped from BOF/EAF in the given financial year.

Converter availability = Calendar hours – planned shut down for campaign repairs – Durations of Tap Hole Making & lance changing – Maintenance delays.

(iv) **Overall Specific Energy Consumption** 6

The calculation of overall specific energy consumption (G.cal/t of crude steel) should be based on IISI methodology.

The scale of evaluation for steel plants based on three different routes i.e. HBI or DRI & EAF route, COREX-BOF route, BF-BOF route will be different from each other.

Benchmark for specific energy consumption per tonne of crude steel for

a) BF-BOF route and COREX- BOF route based plants : 5.92 G.Cal/tcs and

b) HBI / DRI-EAF based plants : 5.0 G.Cal/tcs.

(v) **Labour productivity** 3

Calculated in terms of crude steel production per man year. Pig iron, HBI or DRI produced for sale will be given credit with an equivalent factor of 50% and Manpower will be reckoned in terms of works strength. Works manpower to be calculated after **excluding** non works departments like administration, marketing, finance, township, construction units, mines etc. but including production services like production planning and control etc. Besides, the manpower of **centralized** units of steel plants like centralized maintenance department, captive engineering shops, refractory plants etc which are not directly linked to production may be excluded for calculating labour productivity.

The scale of evaluation for steel plants based on three different routes i.e. HBI or DRI & EAF route, COREX-BOF route, BF-BOF route will be different from each other.

If in any steel plant normal operation and maintenance is got done by outside contractors, the Panel of Judges will get input of such labour evaluated and add it to the regular man power reported by the plant.

5.3 **FINANCIAL PERFORMANCE (SUB-TOTAL 9)**

Figures to be audited and certified by a practising Chartered accountant, not being an employees of the company and consistent with the published accounts.

i) **Gross Margin/ Turnover Ratio** 4

Gross Margin is defined as profit before interest and depreciation. Turnover should be given for Iron & Steel products, including by - products arising out of the process of manufacture of Iron & Steel products. However, sale of products like CAN, Ferro Alloys, Raw materials*, bearings, Agrico products etc. will not be included. It should also exclude sales income derived from trading of products not manufactured by the plant.

Gross margin also relates to Iron & Steel products only as described above. Interest / Dividend income on investments is not to be considered. Inter plant transfers within the company and internal consumption are not to be considered. No policy profit / loss is to be considered.

*Raw materials and other arisings from normal manufacture of Iron & Steel, however, will be included.

ii) **Gross margin / Average capital employed** 2

Gross margin is the same as defined in item i) above. Average Capital employed to include net fixed assets and working capital.

iii) **Turnover / Inventory ratio** 2

Turnover is the same as defined in item i) above. Inventory to include average finished and semi finished stock and should also include inventories of other materials like raw materials, stores and spares etc. The amount of sundry debtors should also be added to the inventories.

(iv) **Expenditure capitalized over Gross Block** 1

5.4 EXPORT PERFORMANCE (SUB-TOTAL 2)

i) **Export Value Ratio** 2

Defined as a ratio of the foreign exchange earned and total turnover. Foreign exchange realisation to be given on F.O.B. basis. Turnover to be defined as given under financial performance.

5.5 QUALITY OF PRODUCTS (SUB-TOTAL 4)

i) **Special Grades Production** 2

To be evaluated as % of saleable steel production in special grades. Only the following categories of steels will qualify to be considered as special steels :-

a) Steel grades with carbon content below 0.04% and above 0.4%.
b) Steels produced using secondary refining technologies such as VAD, VOD, RH or RHOB.
c) Steel grades with low H, O, N and Si.
d) Added alloys like Cr, Mo, Ni to impart better strength, impact toughness, creep or corrosion resistance.
e) Phase transformed grades containing hard phase (Bainite/ martensite).
f) Interstitial free steels.
g) Thinner gauge Cold Rolled steel below 0.4 mm thickness.
h) Any other category of steel with value more than 20% compared to similar category product.

ii) **New Products Developed** 2

To be evaluated in terms of tonnage of new products as percentage of saleable steel production. Products being produced for the first time in the plant will be considered as new products. A citation on new products must be accompanied by a note on the developmental efforts and distinctive feature. The Panel of Judges will take a final view.

5.6 CUSTOMER SATISFACTION (SUB-TOTAL 15)

(i) Process responsible for Marketing and customer Satisfaction (Evaluation of the Panel of Judges) **5**

Evaluation of the process responsible for marketing and customer satisfaction to be evaluated by the Panel of Judges on the basis of answers to the following questions:

- How does the plant determine the customer groups and/or market segments?
- How does the plant determine the requirements of the customer groups or market segments?
- How are the information from existing/potential customers and complaints used in determining the customer requirements?
- How does the plant translate the customer requirements into new product and/or service design?
- How does the plant evaluate and improve its process of listening to and learning from different customer groups?
- How does the plant provide access to the customers to seek assistance and voice complaints?
- How does the plant seek prompt and actionable feed back from customers?
- How does the plant build relationships, loyalty and positive referral with its customers?

(ii) Customer Satisfaction Survey [By an Independent expert agency) **10**

A survey of the customers of different plants to be done by an independent market research agency to include factors like price, timely delivery, technical specifications, availability of materials, commercial terms, stock yard facilities, billing and accounts process, behaviour of personnel, attending to the customer complaints, after sales service, pre-sales contact, packaging etc. Weight-age for these factors to be determined in discussion with the Panel of Judges.

5.7 ENVIRONMENT MANAGEMENT (SUB-TOTAL 7)

(i) Air pollution **1**

To be evaluated as percentage of stacks meeting CPCB norms on suspended particulate matter.

(ii) Water pollution **1**

To be evaluated as specific pollution load per tonne of crude steel.

(iii) Solid waste Utilisation **3**

To be evaluated as percentage of solid wastes utilised/recycled/sold.

(iv) Water Consumption **2**

Make up water consumption in the works per tonne of crude steel.

5.8 Corporate Social Responsibility (Sub-Total 4)

	Expenditure on CSR as % of Distributable Profit	4
5.9	**Safety (Sub-Total 3)**	
(i)	Frequency rate–number of reportable accidents per million man hours.	1
(ii)	Severity rate – man days lost per million man hours.	1
(iii)	Fatal accidents (Nos)	1
5.10	**Thrust on Research & Development (R&D) (Sub-Total 3)**	
(i)	Expenditure on R&D as a % of Turnover	2
(ii)	No. of IPRs	1
5.11	**ENABLING PARAMETERS (SUB-TOTAL 20)**	
(i)	Leadership	4
(ii)	Policy & Strategy	3
(iii)	Resource Management	3
(iv)	People Management	4
(v)	Process Management	6

Assessment to be done by a team of trained assessors. The broad guidelines for assessment and its supplements are given at **Annexure-I & Annexure–II** respectively.

5.12	**OBSERVATIONS OF THE PANEL OF JUDGES BASED ON PLANT VISITS**	15

The Panel of Judges will undertake plant visit to each plant for a minimum period of two days for evaluation of the specified parameters and such other parameters which the Panel of Judges may deem fit.

Based on their observations during Plant visits on various factors like House keeping, Environment management and afforestation, Peripheral and ancillary development, safety training and efforts made to avoid fatal accidents, industrial relations, equipment health, workers' and supervisors' participation in management through small group activities like Suggestion Schemes and Quality Circles, Research and Development efforts, Management Leadership and motivation and their impression about the operation of the steel plant to achieve international standards of efficiency, quality and economy.

The Panel of Judges will particularly look into the following aspects:-

i) The efforts done by the steel plants towards corporate social responsibility in terms of direct action (i.e. amount spent directly vs. profits) or indirect action (promotion through NGOs) etc.

ii) The efforts done by the steel plants for development of surrounding population particularly trial population (if there is any)

iii) The efforts done by the steel plants to reduce the cost of conversion as to lead to reduced cost of steel for the consumers.

6.0 SCALE OF EVALUATION

The evaluation shall be done on a scale of 1 to 5 by linear method.

Score:

(i) For parameter value below and upto the minimum (worst value)= 1

(ii) For parameter value between "worst value" and "best value" = between 1-5, using a straight line.

(iii) For Parameter values above the "best value" =5 rounded off to first decimal.

The "best values" and "worst values" for each of the parameters for objective evaluation are given at **Annexure-III.**

7.0 UTILIZATION OF AWARD MONEY

7.1 The plant management of the award winning plants will spend the money to enhance the quality of life of the work force in the following areas, depending upon the need of the plant concerned :

a) Improvement in the area of occupational health of the employees including hospital facilities,
b) A small portion (say up to 10%) may be allotted to the best department for organization of welfare programmes for the employees.
c) A substantial portion of the money can be kept in Fixed Deposit, the returns of which may be utilized for awarding merit-cum-means scholarships to the children of the employees for pursuit of education and training.
d) Up-gradation of community centres in the Township.
e) Up-gradation of facilities for sports and cultural activities in the township.
f) Financial help for rehabilitation of employees disabled due to accidents in work place.
g) Setting up / extension / addition / modification of educational / practical training centres for the dependents of the employees.
h) Educational / practical training programmes for women / scheduled caste / scheduled tribe or other weaker sections of the employees; and
i) Assistance to educational / training centres / health and sanitation programmes, water supply programmes etc for people living in the periphery of the plant.

7.2 The fund will be administered by a Joint Committee consisting of representatives of the Management of steel plant, the recognized unions and the officers' Association.

7.3 The audit cover provided to the funds of steel plant would also be audited the above mentioned funds.

8.0 SCHEDULE

Time frame of the assessment and award process: -

	Activity	Time Frame
i)	Inviting applications for assessors	1st Mar
ii)	Appointment of Assessors:	31st Mar
iii)	Inviting names for panels for POJs from Plants:	1st Mar
iv)	Finalization of Names of POJs & Verification of antecedents:	Apr- May
iii)	Appointment of POJs and inviting applications:	15th Jun
iv)	Receipt of applications:	15th Jul
v)	1st Meeting of the POJs:	31st Jul
vi)	Report of the assessors(in stages):	31st Aug
vii)	Plant visits by POJs:	Sep-Oct
viiii)	Preparation of Report by the Sectt:	30th Nov
ix)	Last Meeting of POJ/Report of POJ:	31st Dec

Annexure I

RECOMMENDED GUIDELINES FOR ASSESSMENT OF ENABLING PARAMETERS

Criterion 1: Leadership

Definition

How leaders develop and facilitate the achievement of the mission and vision, develop values required for long term success and implement these with appropriate actions and behaviors, and are personally involved in ensuring that the organization's management system is developed and implemented.

Sub-criteria

Leadership covers the following sub- criteria that should be addressed.

1(a). Leaders are personally involved in ensuring the organization's management system is developed, implemented and continuously improved.

This may include :

- Aligning the organization's structure to support delivery of its policy and strategy;
- Ensuring a system for management processes is developed and implemented;
- Ensuring a process for the development, deployment and updating of policy and strategy is developed and implemented;
- Ensuring a process for the measurement, review and improvement of key results is developed and implemented;
- Ensuring a process, or processes, for stimulating, identifying planning and implementing improvements to enabling approaches, e.g. through creativity innovation and learning activities, is developed and implemented.

1(b). Leaders are involved with customers, partners and representatives of society

This may include :

- Meeting, understanding and responding to needs and expectations;
- Establishing and participating in partnership;
- Establishing and participating in joint improvement activity;
- Recognizing individuals and teams of stakeholders for their contribution to the business, for loyalty etc;
- Participating in professional bodies, conferences and seminars, particularly promoting and supporting Excellence;
- Supporting and engaging in activities that aim to improve the environment and the organization's contribution to society.

1(c). Leaders motivate, support and recognize the organization's people.

This may include :

- Personally communicating the organization's mission, vision, values, policy and strategy, plans, objectives and targets to people;
- Being accessible, actively listening and responding to people.
- Helping and supporting people to achieve their plans, objectives and targets;
- Encouraging and enabling people to participate in improvement activity;
- Recognizing both team and individual efforts, at all levels within the organization, in a timely and appropriate manner.

Criterion 2: Policy and Strategy

Definitions

How the organization implements its mission and vision via a clear stakeholder focused strategy. Supported by relevant policies, plans, objectives, targets and processes.

Sub-Criteria

Policy and strategy over the following give sub- criteria that should be addressed.

2(a). Policy and strategy are based on the present and future needs and expectations of stakeholders.

This may include :

- Gathering and understanding information to define the market and market segment the organization will operate in both now and in the future;
- Understanding and anticipating the needs and expectations of customers, employees, partners, society and shareholders, as appropriate;
- Understanding and anticipating development in the market place, including competitor activity.

2(b). Policy and strategy are based on information from performance measurement, research learning and creativity related activities and are deployed through a framework of key processes:

This may include :

- Colleting and understanding output from internal performance indicators;
- Collecting and understanding the output from learning activities;
- Analysing the performance of competitors and best in class organizations;
- Understanding social, environmental and legal issues;
- Identifying and understanding economic and demographic indicators;
- Understanding the impact of new technologies;
- Analyzing and using stakeholders' ideas.
- Identifying and designing the framework of key processes needed to deliver the organization's policy and strategy;
- Establishing clear ownership of the key processes;
- Defining the key processes including the identification of stakeholders;

- Reviewing the effectiveness of the framework of key processes to deliver policy and strategy.

2(c). Policy and strategy are communicated and implemented.

This may include :

- Communication and cascading policy and strategy, as appropriate;
- Using policy and strategy as the basis for planning of activities and the setting of objectives and targets throughout the organization;
- Aligning, prioritizing, agreeing and communicating plans, objectives and targets;
- Evaluating the awareness of policy and strategy.

Criterion 3: People

Definition

How the organization manages, develops and releases and knowledge and full potential of its people at an individual, team based and organization wide level, and plans these activities in order to support its policy and strategy and the effective operation of its processes.

Sub- criteria

People cover the following sub- criteria that should be addressed,

3(a). People's knowledge and competencies are identified, developed and sustained.

This may include:

- Identifying classifying and matching people's knowledge and competencies with the organization's needs;
- Developing and using training and development plans to help ensure people match the present and future capability needs of the organizations;
- Designing and promoting individuals, team and organizational learning opportunities;
- Developing people through work experience;
- Developing team skills;
- Aligning individual and team objectives with the organization's targets;
- Reviewing and updating individual and team objectives;
- Appraising and helping people improve their performance.

3(b). People are involved and empowered.

This may include :

- Encouraging and supporting individual and team participation in improvement activities;
- Encouraging and supporting people's involvement through in-house conferences and ceremonies;

- Providing opportunities which stimulate involvement and support innovative and creative behaviour;
- Empowering people to take action;
- Encouraging people to work together in teams.

3(c). People and the organization have a dialogue.

This may include :

- Identifying communication needs;
- Developing communication policies, strategies and plans based on communication needs;
- Developing and using top down, bottom up and horizontal communication channels;
- Sharing best practice and knowledge.

3(d). People are rewarded, recognized and cared for

This may include :

- Aligning remuneration, redeployment, redundancy and other teams of employment with policy and strategy;
- Recognizing people in order to sustain their involvement and empowerment;
- Promoting awareness and involvement in health, safety, the environment and issues on social responsibility;
- Setting the levels of benefits, e.g. pension plan, health care, child care;
- Promoting social and cultural activities;
- Providing facilities and services, e.g. flexible hours, transport.

Criterion 4: Partnerships and Resources

Definition

How the organization plans and manages its external partnerships and internal resources in order to support its policy and strategy and the effective operation of its processes.

Sub – Criteria

Partnerships and resources cover the following sub-criteria that should be addressed

4(a). External partnerships are managed.

This may include :

- Identifying key partners and strategic partnership opportunities in line with policy and strategy;
- Structuring partnership relationships to create and maximize value;
- Forming value adding supply chain partnerships;
- Identifying and evaluating alternative and emerging technologies in the light of policy and strategy and their impact on business and the society;

- Managing the technology portfolio;
- Exploiting existing technology;
- Innovating technology;
- Harnessing technology to support improvement;
- Identifying and replacing 'old' technologies.

4(b) Technology is managed.

This may include:

- Identifying and evaluating alternative and emerging technologies in the light of policy and strategy and their impact on business and the society;
- Managing the technology portfolio;
- Exploiting existing technology;
- Innovating technology;
- Harnessing technology to support improvement;
- Identifying and replacing old technologies.

4(c). Information and knowledge are managed.

This may include :

- Collecting, structuring and managing information and knowledge in support of policy and strategy;
- Providing appropriate access, for both internal and external users, to relevant information and knowledge;
- Assuring and improving information validity, integrity and security;
- Cultivating, developing and protecting unique intellectual property in order to maximize customer value;
- Seeking to acquire, increase and use knowledge effectively;
- Generating innovative and creative thinking within the organization through the use of relevant information and knowledge resources.

Criterion 5: Processes.

Definition

How the organization designs, manages and improves its processes in order to support its policy and strategy and fully satisfy, and generate increasing value for its customers and other stakeholders.

Sub- criteria

Processes cover the following sub- criteria that should be addressed :

5(a). Processes are systematically designed and managed.

This may include :

- Designing the organization's processes, including those key processes needed to deliver policy and strategy;
- Establishing the process management system to be used;

- Applying systems standards covering for example, quality systems such as ISO 9000, environmental systems, occupational health and safety systems in process management;
- Implementing process measures and setting performance targets;
- Resolving interface issues inside the organization and with external partners for the effective management of end-to-end processes.

5(b). Processes are improved, as needed using innovation in order to fully satisfy and generate increasing value for customer and other stakeholders.

This may include :

- Identifying and priortising opportunities for improvement, and other changes, both incremental and breakthrough;
- Using performance and perception results and information from learning activities to set priorities and targets for improvement and improved methods of operation;
- Stimulating and bringing to bear the creative and innovative talents of employees, customers and partners in incremental and breakthrough improvements;
- Discovering and using new process designs, operating philosophies and enabling technologies;
- Establishing appropriate methods, for implementing change;
- Piloting and controlling the implementation of new or changed processes;
- Communicating process changes to all appropriate stakeholders;
- Ensuring people are trained to operate new or changed processes prior to implementation;
- Ensuring process changes achieve predicated results.

5(c). Products and services are designed and developed based on the customer needs and expectations.

This may include :

- Using market research, customer surveys and other forms of feedback to determine customer needs and expectations for products and services both now and in the future and their perceptions of existing products and services;
- Anticipating and identifying improvements aimed at enhancing products and services in line with customers' future needs and expectations;
- Designing and developing new products and services to address the needs and expectations of customers;
- Using creativity and innovation to develop competitive products and services;
- Generating new products with partners.

5(d). Products and Services are produced, delivered and serviced.

This may include :

- Producing or acquiring products and services in line with designs and developments;

- Communicating, marketing and selling products and services to existing and potential customers;
- Delivering products and services to customers;
- Servicing products and services where appropriate.

5(e). Customer relationships are managed and enhanced.

This may include :

- Determining and meeting customers day to day contact requirements;
- Handing feedback received from day to day contacts including complaints;
- Proactive involvement with customers in order to discuss and address their needs expectations and concerns;
- Following up on sales, servicing and other contacts in order to determine levels of satisfaction with products, services and other customer sales and servicing processes;
- Seeking to maintain creativity and innovation in the customer sales and servicing relationship;
- Using regular surveys, other forms of structured data gathering and data gathered during day to day customer contacts in order to determine and enhance customer relationship satisfaction levels.

*****

Annexure-II

SUPPLEMENTS TO THE GUIDELINES FOR ASSESSMENT OF ENABLING PARAMETERS.

a) Data Collection

Data will be collected through a questionnaire. Each of the questions will relate to a select area of address covered in one of the sub- criteria mentioned under enabling parameters under Annexure I. Responding organization is required to answer the question with necessary supporting evidences. An answer should include quantitative or qualitative or both kinds of data.

Those data to be furnished may relate to process or output aspects of each of the enabling criteria / sub-criteria.

b) Evaluation

Response on each of the questions will be evaluated based on the process maturity model. The evaluation will follow a graded ranking method where markings will be made in two stages - course and final ones.

c) Illustrations

(Criteria, sub-criteria and areas to address mentioned below are quoted from Annexure I, Recommended Guidelines).

Example I
Criteria - Leadership
Sub-criteria - Leaders develop the mission, vision and values and are role models of a culture of Excellence.

Areas to address : Developing and organization's mission and vision.

Questions :

a) Please state the vision for the enterprise.
b) How have you arrived at the vision?
c) How do you ensure the continuing relevance of the above vision?

Example II

Criteria - Leadership

Sub-criteria - Leaders are involved with customers, partners and representatives of society.
Area of address - Supporting and engaging in activities that aim to improve the environment and the organization's contribution to society.

Questions :

a) What is your organization policy for corporate social responsibility?

b) What are the institutional set ups for delivery of the intended responsibility ?
c) What is the nature of activities undertaken especially with identified criteria?

Example III

Criteria - Partnerships and resources
Sub-criteria - Building, equipment and materials are managed.

Area of address - Managing and maintenance and utilization of assets to improve total asset life cycle performance.

Sub- Area - Facility maintenance planning and control.

Questions

a) Describe your maintenance policy.
b) Describe the process of maintenance planning and control.
c) Describe the process of improving maintenance practices.

d) Timing :

Questionnaire is now under preparation. The final questionnaire will be sent to each of the responding organizations in due course of time.

Annexure-III

THE BEST AND WORST VALUES OF OBJECTIVE PARAMETERS FOR AWARDING SCORES IN A FIVE POINT SCALE BY LINEAR METHOD.

Sl. No.	Parameter	Unit of Measurement	Best Value	Worst Value
1.0	Capacity Utilization	%	120.0	90
2.0	Efficiency of Operation			
2.1	Carbon rate			
a)	Carbon rate in Blast Furnaces	Kg/thm	450	500
b)	Carbon rate in Corex Furnaces	Kg/thm	575	675
c)	Fuel rate in HBI / DRI Kilns	G. Cal/t	2.5	3.0
2.2	Blast Furnace, Corex Furnace, HBI or DRI Kiln Productivity			
a)	Blast Furnace Productivity	t/m^3 /day	2.39	1.0
b)	Corex Furnace Productivity	t/hr	100	90
c)	DRI Kiln Productivity	$T/day/m^3$	9.0	8.0
2.3	Steel Making Furnace Productivity	Heats / Converter/ year		
a)	Basic Oxygen Furnace (BOF)		10000	4000
b)	Electric Arc Furnace (EAF)		6000	3500
2.4	Overall specific energy consumption			
a)	Energy Consumption (BF / Corex + BOF Plants)	G. Cal / tcs	5.91	9.0
b)	Energy Consumption (HBI/ DRI+ EAF Plants)	G. Cal / tcs	5.0	6
2.5	Labour productivity			
a)	Labour Productivity (BF+BOF Plants)	t/man/year	280	100
b)	Labour Productivity (Corex + BOF Plants)	t/man/year	480	250
c)	Labour Productivity (HBI + EAF Plants)	t/man/year	1800	800

3.0	**Financial Performance**			
a)	Gross Margin / Turnover Ratio	Ratio	30.0%	10.0%
b)	Gross Margin / Capital Employed	Ratio	90.0%	20.0%
c)	Turnover / Inventory Ratio	Ratio	12	5
d)	Expenditure Capitalized over gross value	Ratio	10%	5%
4.0	**Export Performance**			
a)	Export Value Ratio	Ratio	40.0%	5.0%
5.0	**Quality of Products**			
a)	Special Steel Production	%	70.0	20.0
c)	New Products Developed	Nos.	10	2
6.0	**Environment Management**			
a)	Air Pollution	% of Stacks in Norms	100	95
b)	Water Pollution	Kg/tcs	0.1	1.99
c)	Solid Waste Utilization	%	90.0	30.0
d)	Specific Water Consumption	m^3 /tcs	2	8
7.0	**Corporate Social Responsibility**			
a)	Expenditure on CSR as % of Distributable Profit	%	1.5	0.5
8.0	**Safety (including contract labour)**			
a)	Frequency Rate	$\frac{\text{Nos. of reportable accidents} \times 10^6}{\text{Manhours worked}}$	0.5	4.0
b)	Severity Rate	$\frac{\text{No. of mandays lost} \times 10^6}{\text{Manhours worked}}$	0	2000
c)	Fatal Accidents	No of Fatal Accidents	0	0
9.0	**Thrust on R&D**			
a)	R&D expenditure	As a % of Turnover	0.2	0
b)	IPR	Nos.	5	1

*****

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 8th December 2008

No. F. 9-51/2004-U.3—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of Higher Learning as an "Institution Deemed-to-be-University".

2. And whereas, a proposal was received from Noorul Islam College of Engineering, Kumaracoil, Thuckalay, Kanyakumari District, Tamil Nadu seeking status of 'Deemed-to-be-University';

3. And whereas, the University Grants Commission (UGC) has examined the said proposal and vide its communication bearing F.No.6-2/2005(CPP-I) dated the 11th August, 2008 has recommended conferment of status of 'deemed to be university' to Noorul Islam Centre for Higher Education, Kumaracoil, Thuckalay subject to review after five years;

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, hereby declare "Noorul Islam Centre for Higher Education", Kumaracoil, Thuckalay, Kanyakumari District, Tamil Nadu, as an "Institution Deemed-to-be-University", for the purposes of the aforesaid Act, provisionally for a period of five years, subject to the following conditions:

(i) The Noorul Islam Centre for Higher Education shall comprise "Noorul Islam College of Engineering" located at Kumaracoil, Thuckalay in Kanyakumari District (Tamil Nadu), as its constituent teaching unit;

(ii) The declaration as made above shall cover only those academic courses/programmes of the Noorul Islam College of Engineering that are approved by the All India Council for Technical Education (AICTE);

(iii) The Noorul Islam Centre for Higher Education shall become an "Institution Deemed-to-be-University" with effect from the date of disaffiliation of Noorul Islam College of Engineering from the respective affiliating university, viz., Anna University, Chennai/Tirunelveli;

(iv) The status conferred on Noorul Islam Centre for Higher Education shall be reviewed after a period of five years.

5. The status conferred on the Noorul Islam Centre for Higher Education shall be confirmed after a period of five years on the basis of review to be conducted by the UGC through an Expert Committee, and recommendation of the UGC thereof;

6. The declaration as made in para 4 above is further subject to fulfillment / compliance of the conditions mentioned at Sr. No.4 of the endorsement to this Notification;

7. Neither the Government of India nor the UGC shall provide any Plan or Non-Plan grant-in-aid to Noorul Islam Centre for Higher Education or its constituent unit.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATION, DELHI, 2009